



NAVODAYA Punjab & Sind Bank Quarterly House Journal | September 2021



पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Pride Moments/ गौरव के क्षण



भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय को क क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.09.2021 को विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में माननीय गृह राज्यमंत्री श्री अनय मिश्रा तथा श्री निशीथ प्रामाणिक द्वारा हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्री एस. कृष्णन को राजभाषा शील्ड कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) प्रदान किया गया। प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग तथा बैंक के समस्त स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई।



भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय को 'क' क्षेत्र में श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) प्राप्त हुआ। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. कृष्णन, कार्यकारी निदेशक श्री वी कोल्लेगाल राघवेन्द्र, महाप्रबंधक एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कामेश सेठी तथा उच्चाधिकारीगण, प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग का समस्त स्टाफ राजभाषा शील्ड के साथ।

Shri Rama Krishna Reddy, Chief Manager- Economic Research and Ms. Anjali Pandey, Manager, posted at HO, Planning & Development participated in the IIBF 'Micro Research Competition for the year 2020-21'. IIBF awarded the 3rd prize for their valuable inputs on the topic - "Monetary Policy Transmission through Banking Channel".





Launch of PSB UNIC - A New Aasha Kiran





Our Bank has launched a State of the Art Digital product named 'PSB UNIC', bringing UPI, IMPS, NEFT, RTGS and many more banking Services under one platform. PSB UNIC was launched by our Managing Director & CEO Shri S Krishnan on 09.10.2021 in the presence of all the stakeholders.

Our Bank is serving millions of customers who are Banking with us since generations. Bank has always endeavoured to live upto its slogan of "Where service is the way of life", by rolling out various customer centric products. Omni Channel Digital Banking Solution (PSB-UNIC) is a one such Open Banking platform, which seamlessly integrates the Bank's multi-channel and legacy systems to provide a unified and consistent brand experience across various customer touch-points. PSB UNIC is focused to provide seamless multi-channel banking experience independent of platform (Mobile/Web/Wearables) used. PSB UNIC comprises of the below Modules:

- ► Retail Digital Internet Banking and Mobile Banking
- ► Corporate Internet Digital Banking which caters to Corporate Banking. (Being launched shortly)
- ► Unified Payment Interface (UPI)
- ► IMPS Solution
- ► API Management Solution
- ► PKI Solution
- ▶ Wearables Banking

This product is offered through the following channels:

- ► Internet Banking (Web)
- ► Mobile Banking (Android and iOS)
- ► Standalone UPI

Our customers may experience this digital journey by making a one time registration by clicking PSB UnIC in our website https://www.punjabandsindbank.co.in.

Dedicated Helplines: 0124-2544115, 0124-2544116.

E-mail: omni_support@psb.co.in



(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

मुख्य संरक्षक

श्री एस. कृष्णन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक श्री कामेश सेवी

महाप्रबंधक

सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

श्री राजेश सी पांडे

महाप्रबंधक

डॉ. नीरू पाठक

प्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक गृह पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखक के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एंव कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स ए 33/2, साइट–4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,

गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश फोन नं.: 98112 69844

ई-मेलः jainaoffsetprinters@gmail.com

विषयसूची/Index

1.	Launch of PSB UNIC – A New Aasha Kiran	1
2.	संपादक मंडल / विषय सूची	2
3.	Messages by Executive Director	3
4.	Tie-up	4
5.	संपादकीय	5
6.	बैंकों में वसूली प्रबंधन और उनका नियोजन कैसे करें	6-7
7.	आपकी कलम से	7
8.	सन्मार्ग, मुंबई का उद्घाटन	8-9
9.	Tips to New Branch Managers	10-12
10.	Bank Performance	13-15
11.	खेलों की उन्नित में बैंक का योगदान	16-18
12.	गिग अर्थव्यवस्था	19-20
13.	Join Hands	21
14.	स्वतंत्रता दिवस समारोह	22-23
15.	बैंक के सभी आँचलिक कार्यालयों द्वारा स्वतंत्रता दिवस	24
16.	Checklist for MSME loans, PSB APNA GHAR & PSB Apna Vahan	25-27
17.	कार्टून कोना	27
18.	Door Step Banking (DSB) Services through Universal Touch Points (UTP)	28-30
19.	छपते-छपते	31
20.	Important circulars issued by different deptt. of H.O. (01/07/2021 to 30/09/2021)	32-33
21.	Real Estate Regulatory Authority	34-36
22.	National Asset Reconstruction Company Limited – An Introduction	37
23.	वर्तमान परिप्रेक्य में बैंकिंग क्षेत्र	38-40
24.	ब्लॉकचैन तकनीक- तकनीकी दुनिया का भविष्य संदीप	41-43
25.	Online Verification of Kyc & Financial Documents	44



Message from the Executive Director

Dear Friends,

We are back with you with this third edition of "Navodaya.' Bright sunlight has started shining again after a long spell of dark corona clouds. Economic activity in the country is picking up and has reached almost pre-pandemic level. A pent up demand scenario is in the horizon.

Our Bank has announced Q2 Financial results recently, we have registered a reasonably good growth in business during Q2FY21-22 (y-o-y). However this growth is not up to the mark and we have to traverse a long way to match with the growth of the Industry. For achieving this our Bank has taken several IT and other initiatives. We have launched tailor made loan products, brought retail loan interest rates on par with other peer Banks and have revamped some of the existing schemes. It is now up to the functionaries to perform and show results.

Digital world has become a part and parcel of our lives. In line with this our bank has recently launched 'PSB UnIC' a digital platform, to provide a hassle-free banking experience to the customers. All the staff members are advised to register and explore the features of 'PSB UnIC' and use different modes of communication to popularize the product among our customers.

Third edition of 'Navodaya' consists of a wide variety of topics i.e., 'Tips to the Branch Manager', 'Door Stop Banking', 'Khel Story' and बैंकों में अनुपालन संस्कृति etc. and also important circulars issued during the quarter. Let us build our knowledge and plug the skill gaps. Let us perform to our potential.

Festive season is round the corner. The greatest festival of India "Deepavali" is being celebrated with all pomp and fervour. Let us pray God for peace and prosperity for all.

ऊँ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, ऊँ शांति शांति शांतिरू (ब्रहदानंद उपनिषद)



My Best wishes to all the staff members and their family for a Happy Deepavali.



Punjab and Sind Bank Tie-up with Indiabulls Commercial Credit Ltd & Indiabulls Housing Finance Ltd for Co-lending



Punjab & Sind Bank (P&SB), a premier public sector bank entered into a strategic co-lending alliance with M/s Indiabulls Commercial Credit Ltd. & M/s Indiabulls Housing Finance Ltd. (IHFL) for MSME & Priority Sector Housing Loans respectively.

Briefing on this occasion Sh. S Krishnan, MD & CEO informed that the co-lending model will improve the flow of credit to the un-served and under-served sector of the economy and make available funds to the ultimate beneficiary at an affordable cost, considering the lower cost of funds from banks and greater reach of the NBFCs/ HFLs.

Sh. S Krishnan further elaborated that the co-lending model shall also help the bank to enhance its Retail and MSME portfolio and boost lending to MSME sector which will aid the growth of the economy and employment generation.

Sh. Kollegal V Raghvendra, Executive Director on the occasion informed that Co-Lending model is one of the innovative avenues of lending to the Priority sector. The tie-up shall create dynamic synergy between the two sets of lenders, Indiabulls Commercial Credit Ltd. (NBFC)/ Indiabulls Housing Finance Ltd. (HFL) & Punjab & Sind Bank. The Partnership shall make available cheaper loans to the borrowers as compared to standalone loans given by NBFCs.





संपादकीय

प्रिय साथियो,

बैंक की तिमाही गृह पत्रिका नवोदय के माध्यम से पुनः आपसे अपने विचार साझा करने में मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। देश वैश्विक महामारी कोरोना से शनैः शनै' उबर रहा है किंतु अभी भी सावधानी और सतर्कता के साथ सैनेटाइजर का प्रयोग, दो गज दूरी, मास्क है जरूरी के सिद्धांत को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

साथियो, वित्तीय वर्ष 2021–22 के अर्धवार्षिक लेखा वित्तीय परिणाम घोषित हो गए हैं। "बूंद–बूंद से घड़ा भरता है" आप सभी के सम्मिलत एवं सामूहिक प्रयासों से ही बैंक एक बार फिर से उन्नित की ओर अग्रसर है। इस तिमाही में बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवार्ड तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत–बहुत बधाई।

पत्रिका में मुख्यतः बैंक में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, बैंक के विभिन्न उत्पादों, नीतियों, महत्वपूर्ण परिपत्रों के साथ ऐसे लेखों को समाहित किया गया है जो न केवल आधुनिक बैंकिंग से आपको परिचित कराएंगे बिल्क आपके बैंक के कार्यों में भी सहायक होंगे। बैंकों में वसूली प्रबंधन और उनका नियोजन कैसे करें, Tips to New Branch Managers, Door Step Banking, ब्लॉकचैन तकनीक आदि ऐसे ही अत्यंत ज्ञानवर्धक लेख पत्रिका के विशेष आकर्षण हैं।

बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका नवोदय अभी अपनी शैशव अवस्था में है। मुझे विश्वास है कि पाठकगण इसे उपयोगी और सूचनाप्रद पाएंगे। बैंकिंग के विविध पहुलओं को समेटे यह पत्रिका आपको कैसी लगी, इसके अनवरत सुधार की दिशा में आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझावों का हमें सदैव इंतजार रहेगा।

स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

oningrand

(कामेश सेठी) महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक



बैंकों में वसूली प्रबंधन और उनका नियोजन कैसे करें



गोपाल कृष्ण

(How to manage and plan recovery in banks)

भारत में बैंकिंग क्षेत्र की दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को 5 टिलियन डॉलर के मनोविज्ञान स्तर को पार करके भारत को वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति बनाने का है तो वही 43 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों को खोलकर विश्व इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल भी करनी है। इसलिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था के बेहतर ढंग से संचालन के लिए सुलभ वित्तीय सेवाओं और सतत ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतू बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र) की अच्छी स्थिति होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) संकट से जुझ रहे हैं। पिछले कुछ तिमाहियों से इसमें सुधार आया है परंतू स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कह सकते है। स्थिति में सुधार के लक्षण परिलक्षित होने शुरू ही हुए थे तभी कोविड—19 के वैश्विक प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक पीछे धकेल दिया है। साथ ही पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक लगातार कोविड–19 के चलते रहने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं कह सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम तिमाही के आंकड़ों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में आशा की एक किरण दिखी है परंतु सेक्टर के हिसाब से विश्लेषण करें तो आर्थिक समस्याएँ अभी व्याप्त ही हैं।

कोविड—19 संकट के कारण आर्थिक विकास में गिरावट ने बैंकिंग क्षेत्र के तनाव को और बढ़ा दिया है इसलिए बैंकों की स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए बजट वर्ष 2021 में इस समस्या के समाधान हेतु एक उपाय के तौर पर राष्ट्रीय बैड बैंक स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया गया था । हालाँकि बैड बैंक का विचार देश में कई वर्षो से था परंतु कई कारणों से यह मूर्त नहीं हो पा रहा था। 16 सितंबर 2021 को कैंबिनेट के संस्तुति के बाद वित्तमंत्री ने 30600 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी के साथ बैड बैंक की स्थापना की घोषणा कर दी। जो एक ऐतिहासिक कदम है। एनपीए खातों में वसूली हेतु बैड बैंक कितना प्रभावी सिद्ध होता है इसका विश्लेषण आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या एनपीए की है। ऋण खातों के एनपीए घोषित होने के बाद उन खातों में वसूली अर्थात रिकवरी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिससे हम सभी अवगत है।

सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो जिस तरह समाज में अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे लोग भी रहते है कुछ उसी तरह बैंको द्वारा आबंटित ऋणों में से कुछ ऋण गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। एनपीए खाते वैसे ऋण खाते होते है जिसमें निश्चित समयाविध के भीतर ब्याज एवं मूलधन वापस नहीं आ पाते है वैसे ऋण खाता बैड लोन अर्थात एनपीए की श्रेणी में आ जाता है।

ऋण खातों के एनपीए घोषित होने के उपरांत एक स्थापित मापदंडों के हिसाब से उन खातों में पैसों को वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिससे हम सभी बैंकर भली भांति अवगत है।

उदारीकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों हेतु कई क्षेत्रों को खोला गया। जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा। अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गई। जिसके कारण अर्थव्यवस्था को स्थानीय कारणों के साथ—साथ वैश्विक कारण भी प्रभावित करने लगे। साथ ही यह बात भी सच है कि इसके कारण कई अवसर खुले। नए संभावित क्षेत्रों का विकास भी तेजी से हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा इन नए उभर रहे क्षेत्रों में वित्त पोषण किया गया।

एक कहावत आप सभी लोग जानते ही होंगे चुनौतिओं के साथ अवसर भी आते हैं।

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम (त्क्ट । बज) के माध्यम से पूरे देश में ऋण वसूली न्यायाधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण की रख्यापना की गई। जिनके माध्यम से बैंकों द्वारा आबंटित ऋणों के एनपीए होने की स्थिति में उनके निपटान हेतु एक अलग वैधानिक इकाई देश के भिन्न—भिन्न जगहों पर स्थापित की गई। जिसे न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है। जिसके माध्यम से पूरे देश में बैंको के डूबे कर्ज का वैधानिक रूप से समाधान करने में बैंको को सहायता मिली है परंतु डीआरटी न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ते संख्या और सीमित बुनियादी सुविधाओं के महेनजर मौजूदा विधिक प्रणाली इस बृहद् कार्य से निपटने के लिए असमर्थ है इसलिए ऋण वसूली हेतु हमें सिर्फ एक ही प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

वर्ष 2002 से सरफेसी अधिनियम के प्रभावी होने के बाद एनपीए खातों में ग्राहकों द्वारा बैंको के पास गिरवी रखी संपत्ति (व्यक्तिगत, व्यवसायिक) को ऋण वसूली हेतु बेचनेध्जब्त करने आदि का अधिकार प्राप्त हो गया। जिसके कारण से बैंको को अपने फसे ऋण की वसूली में काफी सहायता मिली है। एनपीए खातों में ऋण वसूली हेतु उपरोक्त सभी प्रक्रिया आज के समय में भी प्रभावी है। समय के हिसाब से इसके साथ भी कई अन्य चीजें जुड़ती चली गई हैं।

बेंको में बढ़ते एनपीए की समस्या से भारत सरकार एवं रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया दोनों ही समान रूप से चिंतित है तथा इस दिशा में गंभीर भी है। इसी के मद्देनजर समय की मांग के अनुकूल कानून बनाने एवं उसमें संशोध ान होते रहते हैं। कोविड—19 के कारण व्यक्तिगत और लघु एवं मध्यम क्षेत्र के कारोबारी को राहत देते हुए उनके ऋण किस्तों की अदायगी हेतु दो बार रियायत दे चुकी है। इसी तरह एनपीए की समस्या के



समाधान हेतु सरकारी स्तर निरंतर किए जा रहे। जिसका अनुपालन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है। इन प्रयासों के साथ—साथ बैंक के स्तर पर भी फसे ऋण (एनपीए और टीडब्ल्यूओ) की वसूली हेतु काफी प्रयास किए जा रहे है।

एनपीए और टीडब्ल्यूओ (ज्द) खातों में वसूली हेत् नई सोच के साथ पद्धति अपनाई जा रही है । इसके अंतर्गत प्रधान कार्यालय विधि एवं वसूली विभाग द्वारा एनपीए और टीडब्ल्यूओ खातों में वसूली हेतु बैंक द्व ारा बाहरी पेशेवर एजेंसीध्एजेंट की सेवाओं के उपयोग के लिए विस्तृत नीति बनाई है। सुविधा हेतु इसे एक बुकलेट में संकलित करके सभी अध ीनस्थ कार्यालयों हेत् परिचालित भी की गई है। साथ ही बैंक के आंतरिक परिचालन हेत् इंट्रानेट साइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। बैंक द्वारा विधिक सेवाओं हेतु वकील, प्रवर्तन एजेंट म्दवितबमउमदज हमदज, जब्ती एजेंट, डिटेक्टिव एजेंट और समाधान एजेंट, को नियुक्त करने हेतू विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए है। पूर्व में प्रचलित सभी प्रकार के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण करते हुए नए और अद्यतन दिशानिर्देशों को एक साथ इस बुकलेट में संकलित किया गया है। पांच खंड में विभक्त इस बुकलेट में क्रमशरू वकील, प्रवर्तन एजेंट, जब्ती एजेंट, डिटेक्टिव एजेंट और समाध ाान एजेंट के नियक्ति और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। बैंक की वर्तमान ऋण वसूली नीति क्या है ? एनपीए और टीडब्ल्यूओ खातों में वसूली हेत् आउटसोर्स की गई एजेंसी की अहर्ता एवं उनके कार्यक्षेत्र क्या होने चाहिए इस विषय से सभी पीएसबीएन को अवगत होना चाहिए। इसलिए यहां हमारा विशेष आग्रह है कि सभी स्टाफ सदस्य इसे जरूर पढ़ें। जो स्टाफ विधि एवं वसूली से संबंधित कार्य देखते है उनके लिए आवश्यक तो है ही साथ ही वैसे स्टाफ जो इस संवर्ग से नहीं भी जुड़े है उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यहाँ एनपीए और टीडब्ल्यूओ खातों में वसूली हेत् किए गए नए प्रावधानों का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ।

यहाँ सिर्फ समाधान एजेंट अर्थात सिजोल्यूश एजेंट की चर्चा करना चाहता हूं। बैंक के प्रति समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ ऐसे अधिकारीध कर्मचारी को जो बैंक से सेवानिवृत्त ६ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले चुके है उन्हें समाधान एजेंट के रूप में बैंक से जोड़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। बैंक में कार्यरत पूर्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुनः सामाधान एजेंट के रुप में अपनी सेवाएं देने का स्नहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिसमें बैंक और समाधान एजेंट दोनों का फायदा है। इसके लिए कुछ शर्ते एवं अहर्ता निर्धारित की गई। जो समाधान एजेंट के रूप में एनपीए और टीडब्ल्यूओ खातों में वसूली हेतु अपनी सेवा देंगे तथा बैंक उनको भिन्न-भिन्न श्रेणी में न्यनतम ४ प्रतिशत से अधिकतम 10 प्रतिशत तक कमीशन प्रदान करेगी। एक साथ उन्हें किसी भी स्थिति में 25 खाते से ज्यादा खाते नहीं दिया जा सकता है। साथ ही उन खातों का आकार अधिकतम 1 करोड़ रु. तक सीमित की गई है। 1 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के खाते को समाधान एजेंट को नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी एक खाते हेत् समाधान एजेंट को किसी भी स्थिति में कमीशन के रूप में 5 लाख रु. से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। इस तरह समाधान एजेंट के साथ साथ बैंक हितों को भी सुरक्षित रखा गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एनपीए और टीडब्ल्यूओ खातों में वसूली हेत् उपरोक्त सभी उपाय बैंक के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इन सभी प्रयासों का एक मात्र उद्देश्य यह है कि बैंक के बैलेंस शीट से गैर निष्पादित आस्तियों को कम किया जा सके। आज से हम सभी संकल्प ले और हमारे साथ दोहराए

एनपीए से आजादी, सासकल से आजादी रिकवरी से आजादी

> महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय, विधि एवं वसूली विभाग

आपकी कलम से

आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका ''नवोदय'' का नवीनतम (जून 2021) अंक प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हमारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं स्वीकार करें।

पत्रिका के इस अंक में बैंक की विभिन्न योजनाओं, महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं बैंक की गतिविधियों को बखूबी दर्शाया गया है। पत्रिका में प्रकाशित बैंकिंग तथा वित्त संबंधी आलेखों की प्रस्तुति बेहतर ढंग से की गई है। विशेषकर पत्रिका में प्रकाशि आलेख "डिजिटल बैंकिंग आज की आवश्यकता", "Challeges/Issues/benefits- Digital Learning / Online Training Programs", "बैंक का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान एवं इसमें भाषा का स्थान", "5G Technology", आदि काफी ज्ञानवर्धक ओर सूचनाप्रद हैं। पत्रिका में प्रकाशित अन्य आलेख भी रोचक एवं पठनीय है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए पूरी संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

(पुनीत कुमार मिश्र)

सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा (राजभाषा एवं संसदीय समिति)



सन्मार्ग, मुंबई का उद्घाटन































Tips to New Branch Managers



Kamesh Sethi

Bankers are the part of Financial Army of the country and a branch manager is a true army man who protects the interest of the bank by fighting with unscrupulous persons, frausters, complaint mongers, habitual litigants, hence we should be proud of Branch Managers. It is true, branch managers are not posted very casually, his or her track record, integrity level, dealing temperament, positivity level and other acumen are taken in to consideration while posting as Branch In charge. Branch incharge is expected to do a lot of things simultaneously, A BM must have marketing skill to sell banking products, must have acumen to handle HR issues, must have negotiating skill to recover NPA, must have customer-dealing-temperament(CDT).BM must be very smart to deal the various situations prudently. However, with the passage of time a BM is groomed and becomes expert in handling every kind of situations.

Here some tips are being given to all BMs who have become first time BM.

- 1. After sending joining letter to ZO, convene a branch meeting with all the staff and try to understand the branch's style of functioning and try to know about the customer base and their behaviours, if any middleman is involved,immediately stop his or her interreference in the branch.
- 2. After settling down properly take balance sheet and go through it then take latest RABIA report of the branch and understand the strength and weekness of the branch.
- 3. After understanding the branch fully take out loan balance and start tallying with loan documents, make a register or keep full record digitally.
- Whenever new manager joins the branch middleman and some other people will start helping new BM to get closeness and later on take advantage of proximity

and put the BM in trouble hence be careful about these type of people and avoid them from the beginning. Be ethical, work without any consideration, allurement etc. Some BMs think that nobody can get any information about some unethical practices adopted by the BM but it is sheer his or her hallucination, nothing is hidden, sooner or later everything will come out.

Although with the operation of CENMARG risk is mitigated to some extant yet BM to take extra precaution to safeguard the interest of Bank.

How & What to Check

All Title Deeds must be recorded in Title Deed register, if not, get these recorded with number of pages in the deed. Check no page should be missing.

Check the date of documents or Balance confirmation slip, signature of BC slip must be tallied with document's signature.

No loan document should be missing or expired.

In vehicle loan RC & Insurance to be checked ,PDC or all other required documents must be on record.





After duly checking the loan documents all other things like security items like Cheque Book,FDR,Draft etc to be physically checked.

Then come Furniture/fixture and all other items to be checked like gun licence, if bank's own gunman and date of lease deed of branch etc.

Prepare a complete charge taking over report and send to zonal office attaching with the format.

DO NOT

Never trust the documents submitted by customer always try to cross check without his or her knowledge or without hurting his sentiments.

No middleman (like a single influential person, unorganized CAs,) should be entertained for any deposit or loan.

No loan should be disbursed without EKYC or proper due diligence with self verification of customer's identity and residence.

Do not make any Auto loan without confirming the genuineness of the Dealer(confirm from net or site of the company)

Do not take legal opinion from ordinary advocate. Always take legal opinion from the best empanelled advocates having very good track record and take care, legal opinion should not be full of conditions and avoid missing chain deed, Power of Attorney cases. Borrower should never be allowed to mix with advocate or valuer. Obtain certified copies of Deed and a certificate from advocate about the genuineness of the original title deeds.

Valuation report should be taken only from reputed empanelled Valuer and his personal visit to the property is mandatory. Obtain a certificate from valuer that he has personally visited the property.

Do not enhance any limit without taking NEC for broken period and fresh genuineness certificate of original Title Deed in case of equitable mortgage. However, in some states EM is registered so risks are mitigated.

Do not sanction any loan without visiting the residence(preferably not with the borrower) and the mortgaged/to be mortgaged property of the borrower/guarantor. Take the detail of the prospective borrower/customer from

neighbours, property dealers, other borrowers/customers, shop keepers, washerman etc.

Do not sanction Gold loan without CIBIL report or to any borrower who is brought by the valuer/appraiser. Do not fully dependent on valuer/appraiser and try to learn how to detect real gold. If you ask appraiser, he will provide you the black stone(kasauti), acid and he may give training to detect fake gold.

Do not rely on borrower in case of NSC and LIC. In case of pledge and assignment of NSC and LIC policy, make personal visit to the department and note down the name of signatories who have pledged or assigned the above.

In case of personal loan, verify the salary slip, account statement with the respective departments by making personal visit(not with borrower).

Do not disburse any term loan without obtaining PDC and signature on the cheques must be verified.

DO not disburse any collateral free(MSME,PMGP,CGTMSE etc) loan without ensuring end use by checking original Bills,receipt and physical verification of Machinery or other products. In all loans margin money, Insurance and premium of CGTSME to be ensured.

Do not take over(preferably from Pvt.Banks) any account from bank unless fully satisfied with the justification of taking over. No bank will leave a good borrower unless some major dispute or ego clash. Some banks are smart in getting the weak/stressed loan account taken over through their DSA or middleman.

Do not go alone to Police station if called by police take some staff or someone with you.

Do not go on recovery alone ,take some staff with you and avoid going beyond banking hours.

Do not talk over telephone with customers/borrowers who are pugnacious or confrontational, your discussion may be recorded.

Lady staff and customer to be dealt in a very proper manner (if you are male)

DO

After opening CC account BM to ensure that entire limit



should not be utilized in one go or immdediately.

In big ticket CC loan, transaction of heavy amount to be monitored on daily basis any diversification should not be allowed like, transaction not related to the concerned trade, any amount in FDR in the name of partner or director in his personal name.

While opening account, BM must advise staff to verify the photo ,KYC documents submitted by the customer with the sites like PAN, Aadhar, EKYC,Ckyc and photo to be matched with face of the customer.

Any huge entry in the newly opened account or existing low transaction accounts to be closely monitored and ascertained that it should not be any money laundering case.

Easy deposit and easy loan must be carefully handled, some people will come and try to influence by offering easy deposit and at the same time easy advances with good collaterals. Extra precaution is required.

All documents to be signed by the customer or borrower in front of any officer of the bank and preferably tallied with the signature of PAN card after ensuring the genuineness of PAN card.

Thanks letter, after opening of the account and any loan must be sent through registered post or speed post and ensure, if returned undelivered, reason for returning and take all precautionary measures.

While opening account of Pvt. Ltd. Co. or Public Ltd. Co. visit MCA/ROC site to check the director's name.

For partnership and proprietorship firm registration should preferably be done.

How to increase the business

First of all go through the targets allotted by the ZO and strategize accordingly.

Basic banking business is CASA Lending Recovery

Sources of CASA & Retail Lending

Existing customers: existing customers are the best source of CASA & Retail Lending. Request the existing customers to bring all their friends and relatives to your branch.

Relatives and friends: Request your own relatives and friends to open accounts in your branch and motivate your staff members to bring CASA accounts of their friends and relatives.

Marketing: contact each and every shop & House of nearby area of the branch and convince them to bring CASA deposit and Retail lending,

Hold camps: For bringing CASA business holds camps near park, market, township. Holding camps, in the early morning, at the parks where, morning walkers come regularly, will also help in bringing of new customers.

Publicity: distribution flyers through newspapers hoardings, Local Radio channels, cable TV etc.

Contact Govt. Department: DIC, Local Govt Deptt., if Corporates, Contact them and try to bring salary, pension and other accounts.

Recovery

Sec. 138: Check all NPA accounts and see in the files if PDC cheques are lying in the file and it can be utilized for section 138 of NIA, then immediately use it for the same. It is a very effective tool as borrower has to be present physically in the court on many occasions.

Filing of RC: in states like Bihar, UP, Jharkhand, Recovery certificate is very strong tool of recovery. All Govt sponsored loans even in loans covered under CGTSME can be recovered through RC.

SARFAESI: All loans secured by immovable properties (except agri land or some others) after getting NPA send 13(2) Notices immediately and keep proper record.

Follow up and regular meeting with defaulters and calling them will help in recovery to great extant.

> General Manager Head Office, HRD Dept.



Financial Results for the Quarter ended 30th September 2021

Net Profit of Pujab and Sind Bank zooms to Rs.218 Cr against a Net Loss of Rs.401 Cr

Q2 FY – 2022 Highlights (Y-o-Y)

- ♦ Operating Profit grew by 20.29% to Rs.249 Cr.
- ◆ Cost of Deposits (COD) at 4.30%, improved by 95 bps.
- ♦ Net NPA ratio reduced from 5.87% to 3.81%.
- ♦ Total Business grew by 15.89%, to Rs.169484 Cr.
- ♦ Total deposits grew by 20.52% & stood at Rs.101910 Cr.
- Gross Advances grew by 9.53%



PERFORMANCE -SEPTEMBER 2021

(Rs in Cr)

	Fo	or the Quart	Y-o-Y	Q-o-Q	
Parameter	Sept'20	June'21	(%)	(%)	
Total Business	146251	166411	Sept'21 169484	15.89	1.85
Total Deposits	84559	98478	101910	20.52	3.49
Saving Deposits	23980	27386	27235	13.57	(0.55)
Current Deposits	3273	3446	3585	9.53	4.03
CASA Deposits	27253	30832	30820	13.09	(0.04)
CASA % to Total Deposits	32.23	31.31	30.24	(199) bps	(107) bps
Retail Term Deposits	41661	44850	45279	8.68	0.96
Bulk Deposits (incl CDs)	15645	22796	25812	64.99	13.23
Gross Advances	61692	67933	67574	9.53	(0.53)
Retail Advances	8872	8884	9090	2.46	2.32
Agriculture Advances	9238	9710	10308	11.58	6.16
MSME Advances	10909	11135	11738	7.60	5.42
% of RAM Advances to Gross Advances	47.04	43.76	46.08	(96) bps	231 bps
Corporate Advances incl Food Credit	32673	38204	36438	11.52	(4.62)
Gross Investment	24626	36372	37553	52.49	3.25
Operating Profit	207	275	249	20.29	(9.45)
Net Profit / (loss)	(401)	174	218	154.36	25.29
Non Interest Income	175	214	204	16.57	(4.67)
Net Interest Margin (%)	2.41	1.95	2.03	(38) bps	8 bps
Cost of Deposits (%)	5.25	4.42	4.30	(95) bps	(12) bps
Yield on Advances (%)	8.32	7.08	6.92	(140) bps	(16) bps
Cost to Income Ratio (%)	73.73	65.25	69.71	(402) bps	446 bps
Return on Assets (%)	(1.58)	0.59	0.72	230 bps	13 bps
Earnings Per Share (Rs)	(22.90)	1.72	2.15	109.39	25.00
Gross NPA	8673	9055	9823	13.26	8.48
Gross NPA%	14.06	13.33	14.54	48 bps	121 bps
Net NPA	3307	2207	2288	(30.81)	3.67
Net NPA%	5.87	3.61	3.81	(206) bps	20 bps
Provision Coverage Ratio (%)	76.12	84.22	84.44	832 bps	22 bps
CET-1 (%)	5.98	12.38	12.25	627 bps	(13) bps
CRAR (%)	11.11	17.62	17.92	681 bps	30 bps



ZONE-WISE PERFORMANCE DATA

Zone	CASA Deposits (ex Overdue FDRs)			Deposits			Total Advances		Retail Credit			Agriculture Credit			MSME Credit			
	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21	Mar' 21	Sept' 21	Target Dec' 21
Amritsar	2056	2054	2340	5203	4902	5665	1766	1782	2285	834	821	960	844	865	1025	373	363	485
Bareilly	1071	959	1235	1843	1655	2235	1627	1606	2035	594	596	675	1054	1036	1225	320	315	390
Bhatinda	686	668	845	1464	1460	1855	1354	1373	1595	402	420	470	982	969	1165	171	176	225
Bhopal	810	826	980	2548	2424	2940	1241	1242	1635	792	728	890	187	165	230	642	575	840
Chandigarh	2198	2236	2465	6679	6844	7365	2045	2079	2440	1141	1183	1285	367	345	465	692	693	875
Chennai	257	226	440	1258	1461	1535	1987	1793	2380	843	832	970	8	8	50	436	392	545
Dehradun	1178	1194	1305	2547	2557	2865	1050	1059	1205	569	577	640	410	389	465	291	278	345
Delhi - I	1789	1844	2015	11167	11330	12035	10470	9637	11720	1054	1033	1180	31	29	85	1039	1128	1265
Delhi - II	2661	2602	2940	7822	7771	8440	1727	1643	2415	1062	1023	1215	125	110	195	883	773	1165
Faridkot	1299	1229	1520	2812	2737	3410	1661	1599	1970	555	540	625	1233	1150	1375	214	216	310
Gandhinagar	151	137	260	624	728	905	1002	990	1210	428	432	500	46	47	60	242	245	285
Gurdaspur	1396	1409	1605	3087	3132	3675	1229	1228	1555	528	530	610	636	628	750	290	292	415
Gurugram	844	886	1000	2079	2044	2445	1209	1202	1630	944	942	1085	185	185	230	429	417	555
Guwahati	634	637	745	1286	1236	1540	279	286	310	227	227	255	9	8	25	126	129	140
Hoshiarpur	1284	1307	1440	3010	3095	3500	759	751	925	253	274	310	495	466	605	99	113	130
Jaipur	618	598	755	2046	1787	2325	1897	2130	2290	916	926	1025	679	661	775	563	549	705
Jalandhar	2115	2198	2375	5480	5614	6195	1127	1164	1420	702	746	800	314	305	370	394	401	520
Kolkata	1228	1320	1445	3880	4186	4315	4217	4451	5045	1241	1248	1425	156	115	200	841	902	1080
Lucknow	1418	1473	1645	3684	3740	4190	1866	1938	2315	1222	1249	1405	212	215	240	733	743	875
Ludhiana	1650	1636	1890	3916	3882	4490	2163	2177	2485	855	892	980	606	586	705	722	719	890
Mumbai	605	715	900	12420	16163	12910	9498	9988	10765	744	713	885	38	37	80	413	699	565
Noida	1386	1393	1595	3015	3027	3350	985	960	1265	793	772	920	161	155	190	265	260	360
Panchkula	1215	1230	1410	3109	3835	3485	1772	1847	2070	591	636	705	784	771	940	394	436	480
Patiala	1272	1179	1480	3292	3281	3755	1826	1813	2160	643	671	755	1042	1025	1170	289	283	375
Vijayawada	371	389	485	1794	3027	2145	7840	7891	8860	635	665	745	33	37	50	283	305	355
SAMVERT	0	0	0	0	0	0	5216	4992	0	14	14	0	0	0	0	353	337	0
Total	30191	30347	35115	96108	101910	107570	67811	67574	73985	18579	18687	21315	10638	10310	12670	11497	11738	14175



खेलां की उन्नित में बैंक का योगदान



डॉ. नीरू पाठक

आज के समय में खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। समय के साथ, इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन के सभी क्षेत्रों पर, दिन—प्रतिदिन बहुत तीव्र गित से हो रहा है। वर्तमान समय में सभी के लिए खेल गतिविधियों को सशक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि वे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं। खेल नागरिकों के चरित्र निर्माण से राष्ट्र को मजबूत बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के सही तरीके से जीने को बढ़ावा देता है। खेल गहन अनुभवों के लिए सामाजिक संदर्भ का पर्याप्त अवसर भी प्रदान करते हैं।

बैंक में खेलों का इतिहास

- बैंक द्वारा बैडिमेंटन, कैरम, टेबल टेनिस, हॉकी आदि जैसी खेल गतिविधियों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, वर्ष 1985 में जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में एक खेल-कूद कक्ष की स्थापना की गई।
- देश में हॉकी के गिरते स्तर को उबारने के उद्देश्य से, बैंक ने अपनी खेल गतिविधियों को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में दिनांक 01.04.

1985 को बैंक की अपनी हॉकी टीम तैयार की।

- राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को और मजबूत करने के उद्देश्य से, बैंक द्वारा 1994 में एक जूनियर हॉकी अकादमी स्थापित की गई जिसके माध्यम से बैंक की जूनियर हॉकी टीम के लिए 15—18 वर्ष आयु वर्ग के हॉकी खिलाड़ियों का चयन, समय—समय पर बैंक द्वारा आयोजित खुली योग्यता परीक्षा के माध्यम से किया जाता था।
- बैंक को वर्ष 1995 में भारतीय हॉकी महासंघ के साथ सीधे संबद्धता प्राप्त हुई जिससे सीनियर स्तर पर बैंक की टीम को सीधे राष्ट्रीय हॉकी चौम्पियनशिप में अलग संस्था के रूप में भाग लेने में सक्षम किया गया।
- बैंक की हॉकी टीम ने 7 ओलंपिक खिलाड़ी, 35 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी,
 6 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और 2 अंतर्राष्ट्रीय अंपायर देश को दिए
 हैं।
- बैंक की हॉकी टीम के दो खिलाड़ियों सुश्री राजबीर कौर और सरदार बलजीत सिंह सैनी को क्रमशः वर्ष 1986 और 2000 में अर्जुन





पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राजिंदर सिंह, ओलंपियन को भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) ने राष्ट्रीय हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। तत्पश्चात भारतीय हॉकी खिलाड़ियों में से एक श्री गुनदीप कुमार को युवा खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम के एक कोच के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

- बैंक ने सरकारी दिशानिर्देशों / नियम / प्रक्रियाओं के अनुसार तीन अलग—अलग स्तरों के लिए जिसमें अधिकारी संवर्ग जेएमजीएस—I, लिपिक संवर्ग और अधीनस्थ संवर्ग से खिलाड़ियों की भर्ती के लिए भर्ती नीति तैयार की है।
- ♦ बैंक सीधे तौर पर एनएसडीएफ को योगदान नहीं कर रहा है। हालांकि, हमारा बैंक ओपन ट्रायल्स के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयनित योग्य और प्रतिभावान खिलाड़ियों को पोषित करता है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए उन्हें अपना कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
- I. बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी (15-18 वर्ष आयु वर्ग)
 - बैंक ने वर्ष 1994 में जालंधर में जूनियर हॉकी अकादमी की स्थापना की थी। अकादमी का उद्देश्य हॉकी की निरंतर उन्नति के लिए बैंक की हॉकी टीम में प्रशिक्षित युवा खिलाड़ियों को शामिल करना है।
 - अकादमी, लायलपुर खालसा कॉलेज, जालंधर से जुड़ी है जहाँ खिलाड़ियों को कॉलेज द्वारा मुफ्त शिक्षा, बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान की जाती है।
 - जूनियर अकादमी 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है जो अपनी स्थापना के समय से ही संतोषजनक तरीके से काम कर रही है।
 - विभिन्न कॉलेजों/स्कूलों से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रथम वर्ष के लिए रु.2000/— (केवल दो हजार रूपए) की छात्रवृत्ति, दूसरे वर्ष के लिए रु. 2500/— (दो हजार पांच सौ केवल) और तीसरे वर्ष के लिए रु.3000/— (केवल

- तीन हजार रुपये) की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो कि प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने की तारीख से शुरू होती है।
- इस प्रकार चयनित खिलाड़ियों से बैंक की हॉकी टीम को पर्याप्त भरपाई होती है। इस जूनियर हॉकी अकादमी में 22 खिलाड़ी होते हैं।

मानव जीवन में समग्र मानसिक विकास के साथ—साथ एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानव विकास के कौशल न केवल विकास और बौद्धिक में बल्कि विकास में भी सहायता करते हैं।

बैंक की हॉकी टीम

क्रम सं.	नाम	पद	पदस्थ			
1	गुरइकबाल सिंह	प्रबंधक	जीटीबी नगर			
2	ओंकार सिंह	अधिकारी	डकोहा			
3	गौतम पाल सिंह	अधिकारी	सस नगर			
4	जगजीत सिंह	अधिकारी	आईबीडी जालंधर			
5	गुरमेल सिंह	अधिकारी	इशर पुरी			
6	सतबीर सिंह	अधिकारी	जीएनडीयू कॉप्लेक्स			
7	मनिन्दर जीत सिंह	लिपिक	अर्बन एस्टेट			
8	प्रिंस	लिपिक	अड्डा होशियारपुर			
9	कुलबीर सिंह	लिपिक	एमजीएन कॉलेज			
10	हरमनजीत सिंह	लिपिक	न्यू सब्जी मंडी			
11	विक्रमजित सिंह	अधिकारी	मोता सिंह नगर			
12	परविंदर सिंह	लिपिक	मॉडल टाउन			
13	गगनप्रीत सिंह	लिपिक	न्यू ग्रेन मार्केट			
14	रमनदीप सिंह	लिपिक	बस्ती गुजन			
15	संता सिंह	लिपिक	डिफेंस कॉलोनी			
16	जसकरन सिंह	लिपिक	लाजपत नगर			
17	रनजोध सिंह	अधिकारी	दशमेश नगर			
1 8	प्रभदीप सिंह	अधिकारी	पीएसबी कॉम्प्लेक्स			



पीएसबी हॉकी टीम



देविन्दर पाल सिहं, मुख्य कोच, पीएसबी हॉकी एकेडमी



टीम के अधिकारी

- 1. श्री गुनदीप कुमार मुख्य कोच
- 2. श्री भूपिन्दर सिंह टीम मैनेजर

वर्ष 1985 से 2021 तक बैंक की हॉकी टीम ने निम्नलिखित टूर्नामेंट जीते

क्रम सं.	टूर्नामेंट	जीता
1	श्रीनगर और जम्मू में इंदिरा गाँधी गोल्ड कप	07 बार
2	सीनियर जवाहर लाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट नई दिल्ली में	10 बार
3	सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में	11 बार
4	लाल बहादुर शास्त्री हॉकी कप नई दिल्ली में	07 बार
5	बॉम्बे गोल्ड कप मुंबई में	05 बार
6.	बीटन कप कोलकाता में	04 बार
7	संजय गाँधी हॉकी टूर्नामेंट नई दिल्ली में	04 बार
8	महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप नई दिल्ली में	02 बार
9	महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप अमृतसर में	02 बार
10	सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चौम्पियनशिप	04 बार
11	जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चौम्पियनशिप	02 बार
12	एमसीसी मुरगुपा गोल्ड कप चेन्नई में	02 बार
13	एस.एन. वोहरा गुरमीत मेमोरियल चंडीगढ़ में	10 बार
14	के.डी. सिंह बाबू लखनऊ में	04 बार
15.	सिंधिया गोल्ड कप ग्वालियर में	03 बार
16.	रमेश चंद्र मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट	06 बार
17.	बी.एस.एफ. सिल्वर जुबली हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली	01 बार
18.	साधू सिंह हमदर्द हॉकी टूर्नामेंट जालंधर	02 बार
19.	जन शक्ति वाहनी हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली	02 बार
20.	लाला भीम सैन हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली	01 बार
21.	इनवीटेशन चौम्पियन ट्राफी चंडीगढ़	01 बार

बैंक की हॉकी टीम की प्रगति

 वर्ष 2016 में 46 वें एस एन वोहरा अखिल भारतीय गुरमीत मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 'ए' ग्रेड के विजेता।



ALLOYSIUS EDWARDS (OLYMPIAN)

- 2. चैन्नै वर्ष 2016 में 90 वें अखिल भारतीय एमसीसी, मुरगुपा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल।
- 3. भोपाल में अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल — 2016
- 5. गर्व क्षण हमारे बैंक के रमनदीप सिंह ने रियो ओलंपिक— 2016 में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।
- 6. श्री बलजीत सिंह सैनी (ओलंपियन) की नियुक्ति 20 से 30 अक्टूबर 2016 तक वेलेंशिया, स्पेन में 6 राष्ट्रों के टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में की गई ।
- 7. श्री रमनदीप सिंह और श्री सतबीर सिंह मलेशिया—2016 में कुआंतान में एशियाई चौंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम के शिविर में हैं। रमनदीप सिंह को इस चौम्पियनशिप के लिए भारतीय हॉकी टीम में चुना गया है।
- 8. वर्ष 2016, अखिल भारतीय बाबा फरीद हॉकी टूर्नामेंट, फरीदकोट में रनर—अप ।
- 9. वर्ष 2016, दूसरे शहीद भगत सिंह हॉकी टूर्नामेंट, ऊना में विजेता ।

हाल ही में टोकियो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। पूरे देश का उत्साह देखते ही बनता था। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी के प्रति प्रत्येक देशवासी का लगाव हमारी एकजुटता को भी दर्शाता है। इससे पता चलता है कि खेल केवल खेल ही नहीं बल्कि सही मायने में हमें जीवन को सही ढंग से जीने की कला भी सिखाते हैं।

प्रबंधक, प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग



निग अर्थाट्यवस्था



देवेंद्र कुमार

गिग अर्थव्यवस्था से आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है जहां स्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने के बजाए अल्प अविध के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। यह कोई नई धारणा नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी के साथ इसे तेजी से अपनाया जा रहा है। गिग अर्थव्यवस्था ने बड़ी संख्या में शहरी युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाया गया है जो अब उबेर, ओला, स्विगी, जोमाटो आदि जैसे टेक्नोलॉजी पर आधारित नौकरियों में कार्यरत हैं।

साधारण भाषा में कहें तो गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपना पसंदीदा काम कर सकता है। अर्थात् गिग इकॉनमी में कंपनी द्वारा तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के एवज में भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त किसी भी बात से कंपनी का कोई मतलब नहीं होता।

ऐसोचौम (ASSOCHAM—एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) के अनुसार, भारत वैश्विक फ्रीलांस अर्थव्यवस्था में 40: का योगदान देता है और वर्तमान में, भारत में 15 मिलियन कुशल गिग वर्कर हैं। भारतीय गिग इकॉनमी के 17: की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ने और 2024 तक 455 बिलियन डॉलर उत्पन्न करने की उम्मीद है। इससे 2025 तक 350 मिलियन रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है। इस डेटा के साथ, यह महसूस किया जा सकता है कि भारतीय गिग वर्कर्स की संख्या में इतनी वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था के बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं गिग इकॉनमी के बारे में....

गिग अर्थव्यवस्था

गिग अर्थव्यवस्था में प्रोजेक्ट के आधार पर अस्थायी संविदात्मक नौकरी, अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कार्य शामिल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश उच्च डिजिटलीकरण दर, आर्थिक विकास और डिस्पोजेबल आय के कारण जल्दी अपनाने वाले रहे हैं। दूसरी ओर, भारत जैसे विकासशील देशों में फ्रीलांसरों की बढ़ती आपूर्ति के कारण काफी संभावनाएं हैं। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। यह इकॉनमी एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्थायी कर्मचारियों के बजाय फ्रीलांसर, गैर—स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं. गिग—इकोनॉमी वर्कर्स निम्न आय के साथ—साथ ऊंची आय पर भी भुगतान किए जाते हैं। यह प्रवृत्ति अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बहुत मजबूत है, जिसमें बड़ी संख्या में फर्में कम अविध के लिए फ्रीलांसरों को नियुक्त करती हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन और उसके तेजी से अपनाने के साथ यह प्रवृत्ति धीरे—धीरे भारतीय

अर्थव्यवस्था में विकसित हो रही है।

कंपनियों और फ्रीलांसरों के लिए गिग श्रमिकों की आवश्यकता एवं उनमें वृद्धिः

कंपनियों तथा फ्रीलांसर के रूप में काम करने के दौरान लोगों को मिलने वाले लाभों को देखते हुए निम्न प्रकार से गिग श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

- 1. एक स्वतंत्र कार्य प्रणाली के कारण, लोगों के पास बेहतर कार्य—जीवन संतुलन हो सकता है।
- 2. असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध कुछ गिग नौकरियों के लिए औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है, जिससे बिना डिग्री वाले लोगों के लिए कार्यबल में प्रवेश करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जोमैटो, स्विगी, अमेजॅन, फ्लिपकार्ट के साथ डिलीवरी वाले, ओला और उबेर ड्राइवर, विभिन्न कंपनियों के लिए काम करने वाले कंटेंट राइटर आदि के रूप में काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन नौकरियों को लेने के लिए केवल कुछ विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है।
- उ. एक फ्रीलांसर के रूप में उनकी रुचियों के आधार पर कई नौकरियां लेना संभव है, जिससे आय के कई स्रोत बनते हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंिक वे अपने घर से आराम से काम कर सकते हैं, उन्हें यात्रा का खर्च नहीं उठाना पड़ता है। महामारी के समय में, कई लोगों ने अपनी पूर्णकालिक नौकरी खो दी और उनके लिए एक और पूर्णकालिक काम करना मुश्किल था क्योंिक कंपनियां अपने खर्चों में कटौती करना चाहती थीं, इसलिए इस महामारी के कारण फ्रीलांस श्रमिकों में वृद्धि हुई। ये कारक श्रमिकों के लिए एक फ्रीलांसर के रूप में काम करने के लिए इसे लागत प्रभावी बनाते हैं।
- 4. कंपनियों के लिए, कोविड—19 महामारी ने पूर्णकालिक कर्मचारियों को काम पर रखना मुश्किल बना दिया है, इसलिए फ्रीलांसर आर्थिक रूप से अधिक इष्टतम हो जाते हैं।
- स्टार्ट—अप के लिए फ्रीलांसरों के साथ काम करना आर्थिक रूप से भी संभव है, क्योंकि वे ज्यादातर कम बजट के साथ शुरुआत करते हैं।

गिग अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर ऑन-डिमांड सेवाओं को पूरा करने के



लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि के कारण अत्यधिक बढ़ी है। गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने और एक फ्रीलांसर के रूप में काम करने और भारत में स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी, अमेजॅन, ओला, आदि जैसी ई—कॉमर्स और खुदरा कंपनियों में वृद्धि के कारण तथा ऊपर बताए गए पेशेवरों के कारण एक विकासशील अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर

सबसे पहली बात तो यह है कि गिग अर्थव्यवस्था के चलन में डिजिटल संचार में तेजी से हो रहे विकास की भागीदारी सबसे ज्यादा है, जिसमें नौकरी के साथ—साथ काम को अत्यधिक फ्लेक्सिबल बना दिया है और बिना किसी भौगोलिक बाधाओं के कहीं से भी काम किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि गिग अर्थव्यवस्था को अपनाने से फर्मों के ऑपरेशिनल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि कंपनियां पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होतीं। तीसरी बात यह कि यह श्रमिकों को आवश्यक फ्लेक्सिबीलिटी प्रदान करती हैं जिसमें वे बार—बार नौकरी स्विच कर सकते हैं और अपने मन का काम चुन सकते हैं जो उनके हित के क्षेत्र के अनुरूप हो। चौथा, फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स में हालिया मंदी ने भी गिग अर्थव्यवस्था के विकास को बढावा दिया है।

अवसर

- रोजगार पर प्रभाव रू वर्तमान में, भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी विकास की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना कर रही है। गिग इकॉनमी में जॉब्स के निर्माण से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, भारतीय कृषि से उपजी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। गिग इकॉनमी ऐसे ग्रामीण युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगी।
- 2. प्रतिस्पर्धा में सुधार रू काम की मात्रा के आधार पर कम वक्त के लिए फ्रीलांसर श्रमिकों को काम पर रखने से कंपनियों को अपने वर्क फोर्स को तर्कसंगत बनाने और लागत को कम करने में मदद मिलती है। इससे कंपनियों की कंपटीशन और स्किल्स में सुधार होता है।
- 3. श्रिमकों को स्वतंत्रता रू गिग इकॉनमी श्रिमकों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देती है, जिसमें कोई निश्चित का वक्त निर्धारित नहीं होता। वे अपनी रुचि के क्षेत्रों के अनुसार नौकरी स्विच कर सकते हैं।
- 4. महिलाओं के लिए अवसर रू प्रतिदिन निश्चित घंटे काम करने की आवश्यकता महिलाओं को फॉर्मल सेक्टर की नौकरियों को लेने से रोकती हैं। गिग इकॉनमी महिलाओं को काम की जगह ऐसी नौकरियों प्रदान करती हैं, जिनमें काम करने के घंटे के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

चुनौतियां

- 1. डेमोग्राफिक डिविडेंट के लिए चुनौतियां रू वर्तमान में काम कर रहे लोगों की 50: से अधिक जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंट की श्रेणी में हैं। जनसंख्या के इस हिस्से को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और डेमोग्राफिक डिविडेंट का उपयोग करने के लिए इनके स्किल को बढ़ाने की आवश्यकता है। गिग इकॉनमी इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट कर रही है जो डेमोग्राफिक डिविडेंट की सही दिशा में एक बाधा है।
- 2. कानूनी ढांचा की गैरमौजूदगी रू वर्तमान भारतीय लेबर लॉ स्पष्ट रूप से गिग इकॉनमी को अपने दायरे में नहीं ला पा रहा है। विभिन्न कार्यस्थल के फायदों के मुकाबले मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ गिग इकॉनमी शांत हैं या निश्क्रिय है।
- सामाजिक लाभों का अभाव रू फॉर्मल सेक्टर के इतर गिग इकॉनमी के वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि बीमा, पेंशन, पीएफ आदि की कमी है।
- 4. जॉब सिक्योरिटी का अभाव रू गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को अपनी नौकरी की सुरक्षा के प्रति चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी नौकरियां नियोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर हैं जिन्हें कभी भी निकाला सकता है।

निष्कर्ष

90 के दशक अर्थात् कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालित मशीनों पर आधारित एम्प्लॉयमेंट 3.0 के दौर में, भारत ने विश्व के लिये अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिये, लेकिन भारत एम्प्लॉयमेंट 3.0 प्रकार के पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करने में असफल रहा। यही कारण है कि आज भारत की 75 फीसदी श्रम शक्ति 'गिग इकॉनमी' अपनाने को मजबूर है।

डिजिटलीकरण जिस प्रकार रोजगारों को कम करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा है उसे देखते हुए पूर्व के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि इन परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपने कौशल सामर्थ्य में निश्चित अविध के भीतर वांछनीय सुधार लाने में असमर्थ रहे हैं। अतः सरकार द्वारा ऐसे लोगों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त समय के साथ—साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने को मजबूर है। अधिकांश श्रम शक्ति कौशलविहीन है। खुशी—खुशी गिग इकॉनमी अपना रहे देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थियों में गिग इकॉनमी भारत के लिये प्रासंगिक नहीं है।

(प्रबंधक) ऑचलिक कार्यालय, गुरुग्राम





Resolution of Vehicle Loan (NPA)

Join Hands for the resolution of NPA Vehicle Loans







1800 419 8300 (Toll Free)

Follow us @PSBIndOfficial











Punjab & Sind Bank join hands with Shriram Automall private limited for the resolution of Vehicle Loan (NPA) on 09/09/2021 at the Head office Rajendra Place, New Delhi.



स्वतंत्रता दिवस समारोह



बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज रोहिणी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याकारी अधिकारी तथा अन्य उच्च अधिकारीगण ने सहभागिता की, इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण तथा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रस्तुत है कुछ झलिनयाँ...























































बैंक के सभी आँचलिक कार्यालयों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, प्रस्तुत है कुछ झलकियाँ...





CHECKLIST FOR MSME LOANS, PSB APNA GHAR & PSB APNA VAHAN

Checklist for documents to be submitted for MSME loans

- 1) Signed copy of application form complete in all respects, Photo should be self-attested.
- 2) Asset liability statement of borrower, co borrower & guarantor. (Duly signed by Applicant & Branch).
- Self-attested copy of KYC Documents of Borrower & guarantor copy of PAN , Aadhar, Udyog Aadhar, GST registration if applicable)
 - In case of proprietorship concern: KYCs of proprietor and guarantor.
 - Duly filled and signed pre-sanction visit report of unit (a. Residential address, b. Business address

4) Credit Checking:

- CIBIL report, Cibil e-verification reports of borrowers & guarantors in all case.
- In addition Experian or Equifax Reports for loan amount Rs.25.00 Lac & above.
- Commercial CIBIL.
- 5) Last 03 year ITRs with computations of borrowers & guarantors.
- 6) Audited financials for the preceding 3 years. (Complete audit report with all the financials and annexure).
- 7) Projections for subsequent 3 financial years. (Not applicable in case of Mortgage term loan for personal use).
- 8) If loan facility is Mortgage Term loan for personal use:
 - Form 16 for 03 years &/or Latest 02 month salary



slip in case of salaried person

- Last 03 year ITRs with computations of borrowers & guarantors
- Copy of PPO in case of pensioners
- Copy of financial papers for last 3 years in case of business income along with current account statement.



- 9) GSTR return of the registered person (if applicable).
- 10) Account statement of the applicant, co applicants. (1 year account statement)
- 11) Copy of sanction letter of all the existing credit facilities in the name of proposed borrowers with confirmation that the all the accounts are running regular/NIL overdue as on date. Operative business account statement for 01 year of the borrowers.
- 12) In case the applicant is enjoying credit facilities from us, latest renewal sanction letter to be submitted.
- 13) In case of Vyapar Term loan for purchase of shop, Agreement to sale along with receipts & branch confirmation in relation to margin money to be furnished.
- 14) Legal Search report and index inspection.
- 15) Valuation report.
- 16) DDA Report verifying the KYC, ITRs and other income proof, residential & business details of borrowers & guarantors. (In case if loan is for business purpose than DDA report should be in DDA format for MSME loans)
- 17) Joint visit report of Zone & Branch if loan amount exceeds Rs. 100 lakhs.
- 18) In case of GST Ease, last 12 months GST returns to be submitted for assessment (GSTR-1 & Form GSTR -3B)

CHECKLIST FOR PSB APNA GHAR PROPOSAL

- 1. Signed copy of application form complete in all respects, Photo should be self-attested.
- 2. Asset-Liability statement of Borrowers & Guarantors (HL 502 & 503) (Duly signed by applicant & Branch).
- 3. Self-attested copy of KYC Documents, of borrowers & guarantors.
- 4. Income Proof Documents:
 - a. Last 3 Years (or at least 1 Year) ITR.
 - b. Form 16 for 03 years & Latest 02 month salary slip in case of salaried person.
 - c. Copy of financial papers in case of business income

along with current account statement.

- d. Copy of PPO in case of pensioners.
- e. Rental Deed in case of rental income.
- Duly filled and signed pre-sanction visit report of unit (a. Residential address, b. Business address) taken from LOS.
- 6. Duly filled and signed Due Diligence Report extracted from LOS.
- 7. CIBIL report, CIBIL e-verification reports of borrowers & guarantors in all case. In addition Experian Reports for loan amount Rs.25.00 Lac & above.
- Sanction letter of all the existing credit facilities (If He/ She is an existing borrower) with confirmation that the all the accounts are running regular/NIL overdue as on date. Operative account statement for 01 year of the borrowers.
- 9. Copy of agreement to sale.

Please note all the papers/documents should be duly stamped & signed by the branch.

- i. LOS filled Visit cum valuation report (House property under consideration) duly signed by BM.
- ii. CIBIL Mortgage check & CERSAI search of the property.

PSB APNA VAHAN PROPOSALS (CHECKLIST)

- 1. Signed copy of application form complete in all respects, Photo should be self-attested.
- Asset-Liability statement (Form AL 602 & 603) of Borrowers & Guarantors (Duly signed by Applicant & Branch).
- 3. Self-attested copy of KYC Documents, of borrowers & guarantors.
- 4. Income Proof Documents:
 - a. Last 3 Years (or At least 1 year) ITR.
 - b. Form 16 for 01 years &/or Latest 02 month salary slip in case of salaried person.
 - c. Copy of financial papers in case of business income



- along with current account statement.
- d. Copy of PPO in case of pensioners.
- e. Rental Deed in case of rental income.
- f. MOA, AOA, Board resolution confirming the loan amount, purpose & authorized person in case of borrower is a company.
- g. Partnership Deed in case of partnership Firm.
- h. Commercial CIBIL in case of loan is proposed in name of other than individual.
- 5. Duly filled and signed pre-sanction visit report of unit (a. Residential address, b. Business address).
- 6. DDA Report verifying the KYC, ITRs and other income proof, residential & business details of borrowers & guarantors.

- 7. CIBIL report, Cibil e-verification reports of borrowers & guarantors in all case. In addition Experian Reports for loan amount Rs.25.00 Lac & above.
- 8. Copy of sanction letter of all the existing credit facilities (if He/She is an existing borrower) confirmation that the all the accounts are running regular/NIL overdue as on date. Operative account statement for 01 year of the borrowers.
- 9. New vehicle purchase Performa Invoice.
- 10. Old vehicle purchase- Offer letter from the seller, Valuation and fitness certificate, copy of old RC in the name of seller, running insurance copy.
- 11. Duly filled form no. 611, 612 & 613 of the auto loan booklet.

Head Office, Retail Lending Department





Door Step Banking (DSB) Services through Universal Touch Points (UTP)



Door Step Banking is a service through which customers can avail many of the banking transaction services through the DSB Agents from their Door Steps at nominal charges. It offers dual benefit of improved customer convenience and reduced dependence on branch banking. DSB services can be availed by all sections of the customers.

Door Step Banking is one of the key action points of the roadmap for banking reforms under the EASE (Enhanced Access & Service Excellence) Reforms brought out by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance under the common logo of **PSB ALLIANCE** for all public sector banks in India.

IBA sub committee on Banking for Customer Convenience has approved the selection of M/s Atyati Technologies (P) Ltd to work in 60 centres and M/s Integra Micro Systems (P) Ltd to work in 40 centres.

Customer Access of DSB services:

Both venders have their own Mobile App, Customer Web Portal and Branch Web Portal. Customer can lodge and track DSB service requests/grievances through Web Portal and Mobile App. Link for web portal and mobile application for both vendors is mentioned hereunder:

(A) M/s Atyati Technologies (P) Ltd-

- (a) Customer Web Portal: https://doorstepbanks.com/
- (c) Customer Mobile application: Application can be downloaded from Google Play Store with name 'Doorstep Banking' [Atyati Technologies (P) Ltd].
- (c) Customer Care Toll Free Number: 1800 103 7188
- (d) **Support Email ID**: support.dsb@atyati.com
- (e) **Branch Web Portal:** https://branch.doorstepbanks.com

(B) M/s Integra Micro Systems (P) Ltd -

- (a) Customer Web Portal: https://dsb.imfast.co.in/ doorstep/login
- (b) Customer Mobile application: Application can be downloaded from Google Play Store with name 'Doorstep Banking' [Integra Micro systems (P) Ltd].
- (c) Customer Care Toll Free Number: 1800 121 3721
- (d) **Support Email ID:** dsb.support@integramicro.com
- (e) Branch Web Portal: https://dsb.imfast.co.in/ doorstep/portallogin

Type of Services covered Under DSB:

A. Non-Financial – Pickup Services (From Customer to Bank Branch): The agent will pick-up following items as part of pickup service-

Cheques, Draft/Pay Orders, New Cheque book requisition slip (This requisition is for personalized cheque book which will be directly delivered by Bank to customer via post.), 15 G/H forms, IT challan / Government Business/GST, and Standing Instructions.

B. Non-Financial – Delivery Services (From Bank Branch to Customer): The agent will deliver following items as part of delivery service -

Non-Personalized Cheque Books, Drafts/Pay Orders, Term Deposit Receipt/ Acknowledgement, TDS/Form 16 Certificate, and Account Statement.

C. Financial Transactions- Cash Withdrawal through AEPS & Debit Card:

Financial Transaction Service has been started through



Micro ATM Standard 1.5.1 guidelines using AEPS (Aadhar Enabled Payment System) and Debit Card based transaction platform for rendering real time cash withdrawal services. Financial services shall be primarily issuer transaction for other Banks while one Bank (UCO Bank) shall act as Acquirer.

Aadhar based Cash Withdrawal facility upto Rs. 10000/- per day.

Debit Card based Cash Withdrawal facility upto Rs. 10000/- per day.

 Other Services: Submission of Digital Life Certificate for Pensioners:

Through this facility Pensioners of the bank can submit their life certificate from their Door Step.

Eligibility Criteria:

- Pensioner is drawing pension from the Bank.
- Pensioner is having valid Aadhar linked with Pension Account.
- Pensioner's mobile number is linked with his/ her Pension Account.

Process to be followed by customer for Digital Life Certificate Service:

- Customer will login into DSB System through DSB mobile App or Website and register using the existing flow. Life Certificate Submission option is available for the customer under Other Services option.
- On selection of Life Certificate Request option, customer will be asked to enter his/her Pension Account Number.
- DSB System will invoke an API to CBS of the Bank with Mobile Number & Pension Account number for verification. If record matches with Bank's CBS then in response, CBS will send Success along with Last 4 digit of Aadhar number linked with the Pension Account / PPO.
- 4. In case Aadhar is not linked then DSB System will decline the request from Customer.

- In case of Successful verification of Pension Number in CBS and seeding of Aadhar; DSB System will accept the service booking and allot Agent.
- 6. Agent will reach the customer address and do Authentication Code based validation; as per existing system. Then he will invoke the Jeevan Pramaan application installed in mobile device & post a successful agent authentication agent will capture customer Aadhar number, fingerprint & required details to complete the digital life certificate submission.
- 7. Post completion of Jeevan Pramaan Capture; Agent will enter the Jeevan Pramaan ID in his/her App to mark completion of the Service Call.

Fall Back Mechanism

Definition: This scenario occurs when Digital Life Certificate could not be successful due to any reason, including FP Authentication fail, UIDAI/ NPCI Server down etc. In such cases:

- Agent will try for at least 3 times before initiating fall-back.
- ii. Agent will enter the reason of failure in the App and then initiate Physical Collection of Document.
- iii. Agent will be carrying Physical Life Certificate Form which he/she will get filled in front of him and take signature of the customer.
- iv. Agent will take photograph of the form and photograph of customer through Agent App.
- Agent will also submit declaration about checking Aadhar details and matching photograph of customer in Aadhar with actual customer signing the life certificate.
- vi. Agent will submit the duly signed Life Certificate Form, to the Branch.
- vii. Branch will update the life certificate in its CBS, after matching the signature and photo of the customer.

Role & Responsibility of the Branch:

1. Branch staff will first verify the sanctity of request



i.e. whether requested document can be delivered to the customer as per extant guideline of the Bank.

- Branch staff will work on the service request & when service request is ready for an agent pick up then bank user will have to confirm the same in portal.
- 3. In Pre Service Request, Branch User will hand over instrument to DSB Agent (after successful validation of Authorization-Code)
- 4. In Post Service Request, Branch user will open envelop in presence of Agent to verify if documents being delivered are not mutilated. In case it is mutilated, Branch staff shall have option to register this in system.
- 5. Branch Staff has to complete the processing within1 hour of receiving the request.

6. At any point of time one user shall be handling the service request and dispose off the same through

DSB Branch Portal. In absence of the designated officer, alternate officer having user credentials shall be acting as DSB nodal officer for the branch.

Service Area and Timing:

- 1. Service area for every Banking Agent will be 5-10 km depending on the accessibility of the area.
- 2. All requests generated up to 3:00 PM on any working day should be completed within 3 hours of request generation and request generated after that or on holiday should be served on priority basis and shall be completed by 1:00 pm next working day.

Service charges to be collected from the Customers:

The IBA Sub-Committee have decided a uniform service charge of Rs.75/- plus

GST to be collected from the customers for each service request.

Vendor's Scope of Work:

- The Vendors are deploying an end to end solution including all requisites viz. trained workforce, space, hardware, software, application etc. ensuring compliance of RBI and other statutory bodies' guidelines.
- 2. The vendors are providing agents (DSB agents on behalf of Bank) for pick-up and delivery of DSB Services.

Service Delivery at Customer Address:

Service delivery and/or pickup at customer address shall be done by the DSB Agents engaged by the service providers M/s Atyati Technology and M/s Integra Micro system. Agent shall pick the instrument from Branch/ Customer and Deliver to Customer/ Branch as per the type of service.

Sr. Manager HO Planning & Development Dept.



10a

Indian Banks' Association



छपते-छपते



डॉ. रामजस यादव ने बैंक की शाखा अंधेरी मुंबई में दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया।



श्री संजीव श्रीवास्तव, आँचलिक प्रबंधक, मुंबई तथा शाखा अंधेरी मुंबई के समस्त स्टाफ ने डॉ. रामजस यादव, कार्यकारी निदेशक महोदय का फूलों से स्वागत किया।





Important Circulars issued by different department

Circulars No.	Circulars Date	Particulars							
		Name of Department: Account & Audit							
948/16/2021	948/16/2021 Policy for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention of Insider Trading Detailing Code of Conduct for Prevention On Trading Detail Deta								
Name of Department: Foreign Exchange									
880/2235/36/2021	06.09.2021	Recording of Purchases and Sales of Foreign Currency Download: Annexure							
873/2234/35/2021	04.09.2021	nterest Rate on Foreign Currency(Non Resident) A/C Banks Scheme-FCNR(B)							
858/2233/34/2021	31.08.2021	CHANGE OF NOTIONAL RATES FOR FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS							
857/2232/33/2021	31.08.2021	Enhancements to Indo-Nepal Remittance Facility Scheme Download: Annexure							
830/2231/32/2021	21.08.2021	Exim Bank's Government of India supported Line of Credit (LOC) Annexures: Annexure-I,Annexure-II,Annexure-IV							
829/2230/31/2021	21.08.2021	Regulatory Reports to be Submitted to RBI/Government Departments							
824/2229/30/2021	17.08.2021	17.08.2021 Exim Bank's Government of India supported Line of Credit (LOC) of USD 100 million to the Government of the Republic of Mauritius							
766/2228/29/2021	03.08.2021	RBI EDPMS CAUTION LISTED EXPORTERS UPLOADED ON 13.07.2021 Download Annexure							
741/2227/28/2021	30.07.2021	CHANGE OF NOTIONAL RATES FOR FOREIGN CURRENCY ACCOUNTS							
740/2226/27/2021	30.07.2021	Review of operational guidelines for Foreign Inward Remittances related to advance against exports and other non export related remittances							
Name of Department: Fraud Monitoring									
878/365/2021	03.09.2021 Cases Of Frauds/Attempted Frauds/Third Party Entities involved in Frauds (Sharing of Information) Download: Annexure								
745/360/2021	15.07.2021	SPURT IN ATM FRAUDS							
		Name of Department: General Administration							
05/837/2021	23.08.2021	Maintaining Good Ambience at Branch Premises							
04/808/2021	16.08.2021	BANK'S POLICY FOR PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES/EXECUTION OF WORKS DOWNLOAD POLICY							
		Name of Department: HRD							
3176/863/2021	03.09.2021	MANDATORY LEAVE POLICY FOR EMPLOYEES POSTED IN SENSITIVE POSITIONS OR AREAS OF OPERATION							
3169/823/2021	17.08.2021	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR AVAILMENT OF VARIOUS KINDS OF LEAVE BY OFFICERS							
		Name of Department: Information Technology							
Feb-21	07.07.2021	Procurement of IT products through GeM portal							
Name of Department: Inspection									
907/002/2021	14.09.2021	Launching of RBIA Portal Download: SOP							
771/001/2021	31.07.2021	Adherence to timelines for various audits							
		Name of Department: Provident Fund							
954/113/2021	30.09.2021	IBA's Group Medical Insurance Scheme for Retired Officers / Workmen Employees							
875/112/2021	01.09.2021	IBA's Medical Insurance Scheme for Retired Officers / Employees of the Bank							



of Head Office (01/07/2021 to 30/09/2021)

Circulars No.	Circulars Date	Particulars						
0775/111/2021	02.08.2021	Interest rate on Provident Fund / Voluntary Provident Fund / PF Loan balances of Subscribers with the Punjab & Sind Bank (Employees') Provident Fund Trust w.e.f. 01.07.2021						
0773/110/2021	31.07.2021	Master Circular on Existing Welfare Scheme of the Bank						
0729/109/2021	23.07.2021	Group Term Life Insurance Policy For Employees Of The Bank For The Period 12.08.2011.08.2022						
		Name of Department: Planing and Development						
938/3570/2021	27.09.2021	Revison of Threshold limit as per Risk Categorization						
912/3569/2021	15.09.2021	standard Operating Procedure(SOP)for Merger of RCCs in line with existing RBI Grids						
906/3568/2021	14.09.2021	Deposit & Customer Service Policy of the Bank for the FY 2021-22						
		Name of Department: Priority Sector						
0629/949/2021	29.09.2021	MASTER DIRECTIONS ON PRIORITY SECTOR LENDING (PSL) - TARGETS AND CLASSIFICATION						
0628/940/2021	27.09.2021	Submission of tentative number of claims for EWS/LIG OLD AND NEW under PMAY(U) for loan sanctioned and disbursed during 17.06.2015 to 31.03.2022 by 30.09.2021						
0627/934/2021	23.09.2021	Pradhan Mantri Awas Yojna- Credit Linked Subsidy Scheme(Urban)						
0626/918/2021	17.09.2021	Scheme for Financing MFIs backed by Credit Guarantee Scheme for MFIs (CGSMFI)						
0625/911/2021	15.09.2021	Co-lending arrangement between Bank and Indiabulls for MSME-LAP and Housing Loan (PS)						
0624/898/2021	13.09.2021	Modification in PM SVANidhi Scheme regarding Incentive for Digital Transaction by Vendors						
0623/891/2021	08.09.2021	PM SVANidhi Scheme – Detailed Guidelines for branches regarding the 2nd tranche of loan under PM SVANidhi scheme						
0622/862/2021	02.09.2021	PSB AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND - CLARIFICATION						
0621/841/2021	23.08.2021	PSB SCHEME ON FINANCING FOOD & AGRO PROCESSING UNITS - MODIFICATIONS						
0620/816/2021	16.08.2021	National Livestock Mission- EDEG Component-Year 2021-22 -Allocation of Funds						
0619/813/2021	13.08.2021	Revised Guidelines of Agriculture Infrastructure Fund (AIF)						
0618/798/2021	10.08.2021	Enhancement of collateral free loans to Self Help Groups (SHGs) under DAY-NRLM from Rs 10 lakh to Rs. 20 Lakh						
0616/786/2021	09.08.2021	Master Circular on Bank's Policy for Finance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME Policy 2021-22)						
0617/787/2021	09.08.2021	Closure of claim submission under MIG under PMAY(U)						
0615/650/2021	03.07.2021	Common Application form for SHGs(loan Documentation)						
		Name of Department: Retail Lending						
100/822/2021	19.08.2021	Master Circular on Education Loan						
99/804/2021	16.08.2021	Exclusion of MSME product from the ambit of CenMARG, Delhi						
98/803/2021	12.08.2021	Scheme for Payment of Business Facilitation charges						
97/802/2021	12.08.2021	PSB Apna Ghar- (Special Scheme for Defence personnel)						
		Annexure-I						
96/0779/2021	06.08.2021	Retail Credit Policy of the Bank 2021-22						
95/0776/2021	04.08.2021	Roll out of CenMARGs at new centers and reallocation of zones						
94/0760/2021	31.07.2021	Issuance of RuPay Card in Overdraft accounts						



Real Estate Regulatory Authority



Pulkit Roy

Housing has always been a dream to most of Indians. We have heard our elders counselling the younger generation about the priorities sequence i.e.Roti, KapdaaurMakaan. A house is beyond a brick and mortar structure, it is reservoir of a family's emotional strength and satisfaction. But unfortunately the Housing Projects handled by Real Estate flag holders have created a feeling of risk and untrustworthiness over years due to various reasons like breach of promises, vague agreements and poor post sales attitude.

As the Government has launched its mission "Housing for all by 2022" on 25th June 2015, it was required that the trust that people lost due to various factor in Real Estate industry be brought back and investments can be promoted thereafter. This led to the requirement of Law that not only strengthens the right of buyer but ensures various aspect of the Housing Project with respect to builders also. Hence, Real Estate Regulation & Development Act 2016 was introduced in 2016.

Prior to the introduction of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, Indian real estate customers had little legal recourse and they were offered consumer protection under various acts such as the Indian Contract Act, 1872; the Consumer Protection Act, 1986. Indian consumers had to approach various authorities, such as the Consumer Courts and the Civil Courts, to deal with their grievances. Also, prior to the introduction of the above Act, there was no single regulatory authority for the regulation of the real estate sector, and buyers had to face various problems such as delay in handing over the possession by the developer, high-interest rates charged on late payments, multiple bookings for the same property, project failures, etc. On the other hand, developers had to overcome the issues such as delays in building permits, late payments by homeowners, and non-transparent operations.

With introduction of RERA 2016 interest of home buyers is at heart of real estate sector. Earlier the Promoters had a practice of diverting funds from one project to another as





per their own interest. This has led many home buyers wait for a long tohave their dream of home. But Now, Promoters are required to maintain "project based separate bank accounts" to prevent fund diversion, 70% of funds sourced for a particular project has to be kept in such accounts and the withdrawal from same is allowed after certification from Engineers, Architects and Charted Accountants. The Act stipulates that no project can be sold without project plans being approved by the competent authority and the project being registered with the regulatory authority, putting to an end the practice of selling on the basis of deceitful advertisements. Also, The Promoters cannot transfer or assign majority rights and liabilities to a third party prior to approval of two third of allottees followed by approval of such transaction from RERA. Advance payment demand by Promoter is also restricted to 10% of cost before both enter legal agreement to sale.

The Act also clarifies that any defect in the title of the Land of project will lead to unlimited amount of compensation to the Buyer whether the project is under construction or even after the final allotment. There was a time when there were multiple parameters for dimensions of a property. It started with Covered Area, then Super Area and reached finally at Carpet Area. Having so many ways of putting the dimensions of a property used to confuse the home buyers as the dimension quote is different with different builders, some may quote super area and other may indicate covered area. The RERA mandated disclosure of unit sizes based on `Carpet Area'.



Going further, if the allottee faces any issue due to quality of construction of the structure, same is required to be taken care off by the Promoters without any charges to the Buyers up to 5 year from date of possession. The Buyers are also given RIGHT TO INFORMATION regarding the quality

and progress of the construction. The documents required for RERA registration comprises of Audited Balance Sheet, Profit and Loss account statement and Auditor's report about promoters which can indicate the solvency of the Promoters and the Project.

On other side, the provision for payment of "equal penal rate of interest" by the promoter or the buyer in case of default reinforces equity. RERA outlays detailed guidelines on most of the transaction that may take place between a home buyer and Promoter. If at all, the buyers find anything contingent or is not satisfied with disclosures by the Promoter, they have right to file a grievance with RERA. Even if the decision provided by RERA seems unsatisfactory to the Buyers they have right to contest the same in Appellate Tribunal of RERA.

No civil court will have any jurisdiction with respect to any matter that comes under RERA or the Appellate Tribunal's jurisdiction. As such, no court can grant an injunction with regards to any action taken by RERA or the Tribunal.

Defaults committed on part of Promoter for false information/fake promises or not adhering to the order passed by RERA for any complaint is punishable for a fine of 5% of the cost of Project. Similarly, Non Registration under RERA and failure to comply with orders of Appellate Tribunal is punishable for 1 year imprisonment or penalty of 10% of cost of Project. Any violation of applicable law would attract penalty of 10% of cost of project or 3 year Imprisonment.

This is surely going to inculcate the confidence in Buyers fraternity for their investment and emotions they carry for that property. It also signals the promoters on do's and don'ts to be checked while giving information and transaction process.

RERA Act required State wise formation of legislation in line with RERA Act enacted by the Parliament of India. So there can be few differences that can be seen in RERA guidelines due to state specific laws or judgment by the Courts but the soul behind the RERA have to remain same i.e. Buyers Interest on Delivery and Quality as well as assurance to Promoters regarding single window Project approvals and Payment by Buyers. In recent times, an issue regarding the lease properties had come up in State of Maharashtra wherein it was pointed out that RERA deals with transaction pertaining to SALE of property and hence it's not applicable



to leased properties/lands. The case was presented before Maharashtra RERA and it was clarified by the Tribunal that the long term lease falls within the ambit of the Act. The Decision was again maintained by the Hon'ble Bombay High Court.

From the Banks Point of view, RERA has helped lenders feel more comfortable regarding the title of the property, timelines involved and quality of constructions. The customer so sourced by the Bank for RERA projects can at least be ensured that their investment on Green Field is guaranteed to grow as House of their dreams which in turn will assure the Bank of having their money back with due interest.

To utilize the benefits of RERA, The Bank has circulated guidelines in March 2019 for approving Housing projects. The Bank has eased the process of approval, especially for the projects which have been already approved by other Public Sector Banks. We are required to obtain the clear master title report in Bank's Name from the lawyer (empanelled with us or with respective Bank). Zonal Offices is required to put on record the required clearances from various department, managerial and technical expertise

of the project along with potentiality of the project in line with its viability. A check on the background of promoters, their Balance Sheets, fund raising methods and success of the projects they remained associated with should also be checked for enhanced due diligence. While the RERA assures the genuineness of title and other legal aspects to great extent, this exercise on our part will leverage the Branches to garner business keeping just customer's financial credentials in mind, as rest is already taken up by the Zonal Offices while approving the Projects.

Presently, The Bank has most competitive Housing Loan Interest Rates in the Market and by putting our Boards on such Housing Projects sites may attract New Customer to Bank with us. With introduction of APNA GHAR-Gaurav, The Bank foresees high potential for Projects offered by Military/Para Military Housing Associations like AWHO (Army Welfare Housing Organization).

These Project generally have good ticket size for finance as cost of the flats/properties are generally near to 1 Crore. Moreover, The Bank has also introduced guidelines on Business Facilitation Charges (Incentives) for Builders and their Sales Representative i.e. 0.50% of Loan Amount (Max Rs.60000/-) and Rs.2500/-for Sales Representative, bringing loan proposals to our Bank. This can be further increased to 0.75% or Rs.75000/- if found required by FGM/Zonal Managers on case to case basis.

Approval of Housing Projects (RERA approved) to Augment the Housing Loan Portfolio of the Bank was again emphasized vide HO Retail Lending Deptt letter dated 03.06.2021.

So, with Most Competitive Interest, TAT based Sanctioning by Cen Marg, having Handsome Incentives for Builders and Sales representatives and Comfort given by RERA guidelines, we can surely bring quality business and surpass the Targeted 20% Retail Increase envisaged by Top Management.

Faculty (Manager), Staff Training College, Rohini





National Asset Reconstruction Company Limited – An Introduction



Introduction:

In the Union Budget for 2021-22, the Government announced a proposal for setting up the National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL).

National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL):

NARCL has been incorporated in July 2021, under the Companies Act and the Indian Banks' Association (IBA) got the license from Reserve Bank of India (RBI) on October 4th 2021 to set up a Rs.6,000-crore National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL). Public Sector Banks will maintain 51% ownership in NARCL.


The NARCL will pick up stressed assets above a certain threshold from banks and would aim to sell them to prospective buyers. The NARCL will also be responsible for valuing bad loans to determine at what price they would be sold. The NARCL would provide government receipts to banks as it takes on non-performing assets from their books.

India Debt Resolution Co. Ltd (IDRCL):

The stressed assets acquired by NARCL will be managed by another entity India Debt Resolution Co. Ltd (IDRCL). IDRCL is a service company/operational entity which will manage the asset and engage market professionals and turnaround experts. Public Fls will hold a maximum of 49% stake and the rest will be with private sector lenders.

Rationale of NARCL-IDRCL: Existing ARCs have been helpful in resolution of stressed assets especially for smaller value loans. Various available resolution mechanisms, including IBC have proved to be useful. However, considering the large stock of legacy NPAs, additional options/alternatives are needed and the NARCL-IDRCL structure is one such alternative.

The NARCL expected to acquire nearly Rs. 2 lakh crore of stressed assets from banks. These will be high value stressed loan assets of more than Rs 500 crore. It will pay banks 15 per cent cash upfront for these assets and issue securitisation receipts for the remaining 85 per cent of the asset value. The cabinet approved an Rs 30,600 crore guarantee to back these securitisation receipts, if the asset is not able to realise its value then this guarantee will come into the picture. This guarantee will be valid for five years.



The Plan: In phase - I, fully provisioned assets of about Rs. 90,000 crores are expected to be transferred to NARCL, while the remaining assets with lower provisions would be transferred in phase II. NARCL will pay up to 15% of the agreed value for the loans in cash and the remaining 85% would be securities receipts. The NARCL will acquire assets by making an offer to the lead bank. Once NARCL's offer is accepted, IDRCL will be looped in for management and value addition.

Benefit to the Banks: It will incentivize quicker action on resolving stressed assets, and help in better value realisation. This approach will also permit freeing up banks personnel to focus on increasing business and credit growth. As holders of these stressed assets and securities receipts, banks will receive the gains. Further, it aims to bring improvement in banks' valuations and enhance their ability to raise market capital.

Conflict of Interest: There is a possibility of conflict of interest arising too. Banks will be part-owners of both NARCL (51 per cent stake) and the asset management company (49 per cent), and they will also be sellers to NARCL. It is important, therefore, that the processes are transparent and that independent market professionals are employed to avoid conflicts

Conclusion:

The NARCL is conceived well and its success is critical to the Centre's bank clean-up plan. The success of the NARCL however will depend on the valuation of the bad loans that the NARCL takes over and, second, the independence and professional expertise that the asset management company — India Debt Resolution Company Ltd.

Chief Manager-Economic Research HO. Planning & Development



वर्तमान परिप्रेक्ष में बैंकिंग क्षेत्र



सुशील कुमार

भारत में बैंकिंग व्यवसाय की प्रथा प्राचीनकाल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। तब से लेकर अब तक इसका स्वरूप निरन्तर परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक निर्माण में बैंकों का अपना विशिष्ट स्थान है। इस विशिष्ट स्थान को पाने के लिये बैंकों ने निरंतर परिवर्तनशील व्यवस्था का एक लम्बा सफर तय किया है। वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था का जो आधुनिक स्वरूप अपने चरम पर पहुंचा हुआ सा लगता है, वह विकास के रथ पर सवार दृढ़ इच्छाशक्ति, चुनौतियों के दमन और विश्वास आधारित भावनाओं का मिला-जुला मिश्रण है। विगत वर्षों में भारत में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की स्थापना ने देश के चहुंमुखी विकास की संभावनाओं को जीवंत किया है। वर्तमान में आधुनिक बैंकिंग का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है। परम्परागत बैंकिंग के स्थान पर

अब सामाजिक—आर्थिक बैंकिंग अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण कर चुकी है। समाज निरंतर अभिनव आर्थिक क्रियाओं के साथ नये आयामों की ओर अग्रसर हो रहा है। ग्राहकों के नए—नए वर्गों के उदय के परिणास्वरूप बैंकों से न केवल अपेक्षाएं ही बढ़ी है अपितु अपेक्षाओं का स्वरूप भी बदल गया है। अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिये बैंक अपने आधारभूत सिद्धांतों में नवीनतम तकनीकी का मिश्रण कर रहे हैं, जिससे बैंकों की कार्यप्रणाली में भी निरन्तर परिवर्तन आ रहा है।

बैंकिंग संस्थाओं में जन—विश्वास निहित होता है तथा इसी आधार पर वे विशाल मात्रा में आर्थिक साधनों को संग्रहीत करने में सफलता प्राप्त करती है, अतः उन्हें पूँजी कोषों का विभिन्न क्षेत्रों एवं माध्यमों में विनियोग करते समय पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त उन्हें दूरदर्शिता एवं स्विववेक का भी प्रयोग करना पड़ता है तथा कुछ निश्चित सिद्धांतों की अनुपालना करनी पड़ती है। इन्हीं सिद्धान्तों को 'व्यापारिक बैंकिंग सिद्धान्त' की संज्ञा दी जाती है। बैंकों के आर्थिक साध नों का अधिकांश भाग समाज में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों एवं संस्थाओं से बैंक जमाओं के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये जमाएँ विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत एवं विभिन्न समयावधि के लिए स्वीकार की जाती हैं, जिन्हें अनुबन्धीय उत्तरदायित्व के आधार पर जमाकर्ताओं द्वारा माँग किए जाने पर लौटाना पड़ता है। यदि ये संस्थाएँ इस उत्तरदायित्व का निर्वाह



करने में असफल रहती हैं तो इनकी साख एवं प्रतिष्ठा विपरीत रूप से प्रभावित होती है।अतएव बैंकों द्वारा जन-विश्वास को अर्जित करने के लिए व्यवसाय संचालन में बहुत सावधानी आवश्यकता होती है। उन्हें अपने ग्राहकों द्वारा उत्पन्न माँग को पूरा करने के लिए आर्थिक साधनों का विनियोग ऐसी तरल संपत्तियों में करना पड़ता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रतापूर्वक नकदी में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार बैंकों को अपने साधनों की तरलता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। विनियोगों की तरलता के अतिरिक्त बैंकों को अपने कोषों का विनियोग करते समय उनकी लाभदायकता के सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतनी पडती है क्योंकि उन्हें अपनी क्रियाओं के संचालन के सन्दर्भ में अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते है तथा जमाकर्ताओं को जमा-राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंशधारियों को लाभांश भी वितरित करना पड़ता है। अतः इन सभी दृष्टिकोणों से बैंकों को अपनी स्थिति तरल बनाये रखने के साथ-साथ विनियोगों की लाभदायकता के सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। किन्तु उल्लेखनीय है कि अधिकतम लाभ अर्जित करने हेत् बैंकिंग संस्थाएँ अनावश्यक जोखिम वहन नहीं कर सकती हैं। उन्हें तरलता एवं लाभदायकता के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। लाभ अर्जित करने के दृष्टिकोण से कोषों का विनियोग करते समय उन्हें इस तथ्य पर सक्रिय एवं पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है कि वे जन-साधारण से धरोहर के रूप में प्राप्त वित्तीय कोषों में व्यवहार कर रहे हैं।अतः तरलता एवं लाभदायकता



के अतिरिक्त बैंकिंग संस्थाओं को अपने साधनों की सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान देना पड़ता है। सुरक्षा के अभाव में उनकी साख एवं प्रतिष्ठा विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनमें निहित जन—विश्वास भी समाप्त हो जाता है।अतः संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि वित्तीय कोषों के विनियोग की प्रक्रिया में उन्हें विनियोगों की तरलता, लाभदायक तथा सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से बैंक अपने कोषों का विनियोग किसी एक ही व्यवसाय एवं क्षेत्र में न करके अलग—अलग क्षेत्र एवं व्यवसाय में करते हैं। इस प्रकार विनियोगों में विविधता एवं नवीन दिशाओं के माध्यम से वे जोखिम की मात्रा को सीमित करते हैं।

भारतीय व्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था भी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सभी भारतीय प्रभावित होते हैं। वे आम भारतीय हों या खास भारतीय सभी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था से रूबरू होते हैं। वर्तमान समय में जब सम्पूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व महाशक्ति कही जाने वाले अमेरिका में भी आर्थिक मंदी के दौर में कई बैंक दिवालिए हो गये। लोगों के रोजगार चले गए। विश्व में छाई आर्थिक मंदी ने लाखों-करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। जो देश अपनी नीतियों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनको भी अपनी नीतियों का विश्लेषण करने पर विचार करना पडा। अपने आप को महाशक्ति कहने वाले भी बगलें झांकते नजर आए। जब आर्थिक मंदी की जकड़ में दुनिया के वे ही देश आए जो अपनी अर्थव्यवस्था से निश्चिंत थे। लेकिन ऐसे समय में जब सम्पूर्ण विश्व आर्थिक मंदी की जकड में था तब एकमात्र देश ऐसा भी था जिस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं था और वह अपने नागरिकों को सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा था। सम्पूर्ण विश्व इस चमत्कार से हतप्रभ था कि जब एक और सम्पूर्ण विश्व आर्थिक मंदी की गिरफ्त में है और दूसरी और एक देश ऐसा भी है जिस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति देखी जा सकती है वह निर्माण का क्षेत्र हो या तकनीकी का, सभी में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा था इसे जानने के लिए सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि उस देश की ओर गई कि जो देश अभी विकासशील देशों की श्रेणी में है और वह अपनी आर्थिक प्रगति में विकसित देशों से आगे कैसे निकल गया। इस रहस्य को जानने के लिए विश्व के अग्रणी देशों ने अपने विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी कि विश्व के दूसरे नम्बर की जनसंख्या रखने वाला भारत अपनी आर्थिक उन्नति कैसे कर रहा है जो विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव को भी बेअसर कर रहा है जब सम्पूर्ण विश्व मंदी की चपेट में त्राहि-त्राहि कर गया तब भारत ने आर्थिक मंदी से उफ ! तक नहीं किया तो क्या यह हमारी आर्थिक नीतियों का परिणाम है या कुछ ओर। जो हम आर्थिक मंदी से बेपरवाह अपनी उन्नित की गाथा लिख रहे हैं यह शोध का विषय है कि भारत आर्थिक मंदी की चपेट में नहीं आया था। भारत के लोग क्योंकि आर्थिक मंदी का प्रभाव हो सकता है देश पर पड़ा हो लेकिन देश के लोगों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा।

हम भारतवासी अर्थव्यवस्था के जनक आचार्य चाणक्य के श्लोक को ध्यान में रखकर जीवन जीते हैं जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को विपत्ति के लिए धन संग्रह करना चाहिए। मेरी इस बात में विरोधाभास हो सकता है कि भारत तो आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था लेकिन भारतवासियों ने उसे आर्थिक मंदी से बचा लिया न कि देश की आर्थिक नीतियों ने। यह कटु सत्य है कि भारत में अभी ऐसे वर्ग का जन्म नहीं हुआ जो पूर्णतरू बचत न करने में विश्वास करता हो बल्कि ऐसे वर्ग की अधिकता है जो कमाता तो दस हजार है और खर्च करता बम्षिकल पांच हजार। जबकि यूरोप के लोग जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करके ऐशो आराम की जिन्दगी गुजारते हैं। यूरोप में लोगों को आसान बैंकिंग व्यवस्था का भी लाभ मिलता है जो बिना किसी शर्त पर बड़े से बड़ा कर्जा लेकर ऐश की जिन्दगी गुजारते हैं। यूरोप को आर्थिक मंदी में धकेलने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार वहां के नागरिक तो हैं ही वहां की बैंकिंग व्यवस्था भी जिम्मेदार है जो आसानी से वहां के नागरिकों को कर्जा उपलब्ध करा देती हैं जिसका परिणाम सामने रहा है कि वे बैंक दिवालिए हो गए जिसका द्ष्परिणाम सम्पूर्ण विश्व को झेलना पड़ा। भारतीय व्यवस्था में आर्थिक मंदी का प्रभाव देखने को नहीं मिला इसके लिए कुछ हद तक तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ही धन्यवाद की पात्र है उससे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं भारतीय नागरिक जो अपनी आय का एक निश्चित भाग बचत करके देश के बैंकों में जमा रखते हैं। देश की बीमा कम्पनियों में निवेश करते है फिक्स डिपोजिट बैंकों में रखते हैं। इसके अलावा चल-अचल सम्पत्ति में निवेश करना सोना खरीद कर रखना, घर होने के बाद भी फ्लैट आदि में निवेश करना भारतीय नागरिकों की आदत है।

भारतीय बैंक विश्व के किसी अन्य देश के बैंकों से काफी कठोर नियमों का पालन करते हैं। भारतीय बैंकों की जिटल बैंक कर्ज प्रक्रिया का लाभ बैंकों को मिला है तभी तो विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में दुनिया के अधिकतर बैंक आ गये और कई तो दिवालिया भी घोषित हो गये तो फिर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का इसे सकारात्मक पहूल ही कहा जा सकता है। जो बैंकों की जिटल कर्ज प्रक्रिया के कारण बैंक डूबने से बच गए। भारतीय बैंकों की इस जिटल कर्ज प्रक्रिया के दोनों पहलू हैं इन्हें सकारात्मक भी कहा जा सकता है और नकारात्मक भी। हम सकारात्मक पहलू पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि जब विश्व के सम्पूर्ण देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। विश्व प्रसिद्ध बैंक दिवालिया घोषित हो गए तब भी भारतीय बैंकों पर मंदी का तिनक भी प्रभाव नहीं पड़ा और अधिक उन्नित के साथ लाखों रोजगारों का सृजन कर भारतीय बैंकों ने एक उदारहण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। विश्व के कुछ देशों के लिए तो एक अनबुझी पहेली के समान है कि जब सभी अर्थ व्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुजर रही थीं लेकिन भारतीय अर्थ व्यवस्था पर मंदी का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा।

लेकिन पिछले एक वर्ष से पूरा विश्व कोविड—19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, जहां देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन के चलते नया लोन पूरी तरह से बंद हैं। वहीं 6 महीने के मोरेटोरियम से कलेक्शन भी लगभग जीरो ही हो गया है। रिटेल और एसएमई सेक्टर पर बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले दिनों सरकार द्वारा रीकैपिटलाइजेशन से बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक आस जगी थी, लेकिन लॉकडाउन ने इन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। लॉकडाउन में आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय भी पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर का चौथी तिमाही का प्रदर्शन खराब रहना



ही है, वहीं अगली 2 तिमाही भी सेक्टर पर लॉकडाउन का असर रहेगा। ऐसे में क्वालिटी स्टॉक के साथ सुरक्षित रहने की ही रणनीति बेहतर है।

लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय कितने कारगर

बंक आज हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि इनके बिना हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। रोज आधुनिक और नई तकनीक ला रहे हमारे देश के बैंकों का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। बैंकों की सामान्य परिभाषा से देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल से ही मुद्रा को सहेजने वाली एजेंसियों और उन पर ब्याज देने वाली संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। भारत में बैंकिंग के मूल को पुरातन महाजन परम्परा से भी जोड़ कर देखा जा सकता है जो लोगों को जरूरत के समय पैसे उधार देते थे और लोगों के धन को विदेश जाने और आने के दौरान हवाला के जरिये उन तक पहुंचाते थे और इसके बदले कुछ रकम वसूल करते थे। मिस्र और ऐसी ही दूसरी पुरातन सम्यताओं के साथ व्यापारिक लेन—देन के दौरान भी ऐसी ही संस्थाओं का जिक्र मिलता है लेकिन उनपर ज्यादा शोध और संदर्भ सामग्री उपलब्ध नहीं है। आधुनिक बैंकिंग जिसे आज हम उपयोग कर रहे है, इसका वर्तमान स्वरूप मूल रूप से यूरोपियन्स की ही देन है और आज भी इस प्रणाली में ज्यादातर नये प्रयोग उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं।

समय के साथ बैंकिंग की कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया है। मोटे-मोटे बही-खातों से शुरू हुआ बैंकिंग बाद के दिनों में कंप्यूटर, उसके की-बोर्ड और माउस तक पहुंचा और अब मोबाइल फोन के जरिए ग्राहकों की जेब तक पहुंच गया है। पहले छोटी खरीदारी से लेकर बडी खरीदारी या फिर लेनदेन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती थी। इस कैश को प्राप्त करने के लिए पहले बैंक की लाइन में लगना पड़ता था और फिर सामान खरीदने के लिए दूकान तक जाना पड़ता था। इन सबके बीच कैश की सुरक्षा की चिन्ता भी लोगों को लगी रहती थी। परंत् जबसे इंटरनेट बैंकिंग और फिर मोबाइल बैंकिंग की तकनीक का इजाद हुआ है तबसे सभी झंझटों से एक ही झटके में लोगों को मृक्ति मिल गई है। अब कोई भी सामान खरीदने से लेकर बड़े से बड़े पेमेंट करने के लिए लोगों को बैंक तक दौर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। बैंक अब लोगों की मुड़ी में समा चुका है। लोगों को अब चौबीसों घंटे और सातों दिन घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। सरल शब्दों में कहें तो आप अब एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की खरीदारी या फिर पेमेंट या लेनदेन अपने मोबाइल के माध्यम से एक ही क्लिक में कर सकते हैं, बशर्ते आप मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक हों।

भारत में मोबाइल बैंकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अब मोबाइल बैंकिंग रोजमर्श के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी वजहें भी हैं, बैंकिंग की इस तकनीक से न केवल कैशलेस लेनदेन की सुविधा मिलती है बल्कि इससे कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही मोबाइल बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से ज्यादा सुरक्षित माना गया है। परंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में मोबाइल बैंकिंग करने वालों की संख्या अभी बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश की एक बड़ी आबादी को इस तकनीक के बारे में पर्याप्त जानकारी का न होना है किन्तु वर्तमान में भारत में डिजिटल क्रांति के दौर में मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर और कई एप्प उपलब्ध हैं। ये सभी एप्प गूगल प्ले स्टोर या फिर आपके बैंक के वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डिजिटल तकनीक के विकास ने हमारे रोजमर्रा के जीवन को जितना सुविधाजनक बनाया है उतना ही जोखिम भरा भी। डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए इजाद किए गए तकनीक इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग हमें सुविधा तो देता है परंतु इसमें हुई थोड़ी सी चूक से हमें चूना लगने में भी देरी नहीं लगती। किन्तु असुरक्षा के बावजूद अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हमारा मोबाइल बैंकिंग खतरे से बचा रह सकता है।

मोबाइल बैंकिंग में क्या-क्या सावधानियां बरतें (Mobile banking precautions)

- ि किसी भी सूरत में अपना यूजर आईडी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड या मोबाइल पिन से संबंधित जानकारी अपने फोन के डिवाइस में न रखें। किसी गलत हाथों में मोबाइल जाने से आपको नुकसान हो सकता है।
- मोबाइल बैंकिंग से संबंधित एप्प या तो अपने बैंक के वेबसाइट से या
 फिर गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड करने पर आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं।
- अगर कहीं आपके मोबाइल को नेटवर्क न मिल रहा हो तो लालच में फ्री वाई—फाई या हॉट—स्पॉट से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके डाटा का चोरी होने का अंदेशा बना रहता है।
- अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल बैंकिंग से संबंधित गुप्त डाटा को टेक्स्ट मेसेज के जिरए भेजने की भी कभी गलती न करें।
- साइबर चोर इतने शातिर होते हैं कि वो फोन पर बात करने के दौरान भी आपके फोन से डाटा ट्रान्सफर कर सकते हैं। इसलिए अनजान कॉल आने पर उनसे बात करने में सावधानी बरतें।
- अंत में सबसे जरूरी बात. अगर आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए करते हैं तो फोन को लॉक करने के साथ एप्प को भी पासवर्ड से लॉक रखना न भूलें।

लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक तरफ जहां मोबाइल बैंकिंग की तकनीक से बैंकिंग प्रणाली में क्रांति आई है, वहीं इस सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों के बैंक खातों तक आपराधियों की पहुंच भी आसान हुई है। परन्तु आपके बैंक खातों को नुकसान तभी पहुंच सकता है जब हम इसकी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वैसे तो सभी बैंक अपने स्तर पर मोबाइल बैंकिंग को सुरक्षित और अभेद बनाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं परन्तु हम भी अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो डिजिटल क्रांति का यह सौगात हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए वरदान साबित होगा।

प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय भटिंडा



ब्लॉकचैन तकनीक-तकनीकी दुनिया का भविष्य



संदीप शर्मा

पृष्ठभूमि

ज्यादातर लोग जिन्होंने ब्लॉकचैन तकनीक का नाम सुना है वो इसे क्रिप्टो करन्सी जैसे कि बिटकोइन, एथेरीयम या किसी अन्य क्रिप्टो करन्सी से ही जोड़ कर देखते है। परंतु इसे केवल क्रिप्टो करन्सी तक सीमित समझना, ब्लॉकचैन के क्षेत्र ओर इसकी उपयोगिता ओर इसमे निहित संभावनाओं को एक छोटे दृष्टिकोण से देखने के समान है। वास्तव मे ये तकनीकी दुनिया का भविष्य है।

ब्लॉकचैन तकनीक का आविष्कार एक व्यक्ति (या व्यक्तियों का समूह), जिनको सतोशी नाकामोतो नाम से जाना जाता है, ने साल 2008 मे किया। सतोशी नाकामोतो की पहचान

आज तक अनजान है। ये एक ऐसी तकनीक दुनिया को देना चाहते थे जिससे की वित्तीय लेनदेन बिना किसी मध्यस्ता के किया जा सके अर्थात वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्था की जरूरत ना हो, पूर्ण रूप से विकेंद्रीयकृत हो। पहली ब्लॉकचैन एप्लीकेशन "बिटकोइन" 3 जनवरी 2009 को पहले ब्लॉक के निर्माण के साथ सतोशी नाकामोतो द्वारा शुरू की गई। उसके बाद से ब्लॉकचैन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कई देशों ने ब्लॉकचैन की महत्ता को समझा ओर विभिन्न क्षेत्रों मे इसका उपयोग किया है। जो आज के युग मे इंटरनेट की महत्ता है, भविष्य मे वही उपयोगिता ब्लॉकचैन तकनीक की होगी।

ब्लॉकचैन क्या है और यह कैसे काम करती है ?

साधारण भाषा मे कहा जाए तो ब्लॉकचैन एक डिजिटल "सार्वजनिक बहीखाता" है, जिसमे किसी भी चीज को डिजिटल बना कर उसका रिकार्ड रखा जाता है। यह ब्लॉक पर आधारित तकनीक है जिसमे प्रत्येक रिकार्ड को ब्लॉक कहा जाता है और इन ब्लॉकस की सूची को ब्लॉकचैन कहा जाता है जो लगातार बढ़ती रहती है।

प्रत्येक ब्लॉक मे तीन तरह का डाटा स्टोर होता है :-

- 1. मुख्य डाटा
- 2 हैश
- 3. पिछले ब्लॉक का हैश



मुख्य डाटा वह डाटा है जो लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करता है उदाहरण के तौर पर किसी बिटकोइन ट्रैन्सैक्शन में भेजने वाले का पता, प्राप्तकर्ता का पता और लेनदेन की रकम का विवरण दिया जाता है।

हैश को आप उंगली के निशान की तरह समझ सकते है। यह प्रत्येक रिकार्ड के लिए अलग होता है जो ब्लॉक में स्टोर डाटा के अनुसार बदलता रहता है। जब तक डाटा में परिवर्तन करते रहेंगे वैसे वैसे हैश बदलता रहेगा।

पिछले ब्लॉक का हैश से ही श्रृंखला (चौन) का निर्माण होता है क्योंकि यह अगले ब्लॉक मे जुड़ कर शुंखला का निर्माण करता है।

किसी भी ब्लॉकचैन के पहले ब्लॉक को जेनिसिस ब्लॉक कहा जाता है जिसमे पिछला कोई ब्लॉक ना होने की वजह से पिछले किसी भी ब्लॉक का हैश नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्लॉकचैन मे किसी भी ब्लॉक मे रिकार्ड का परिवर्तित करेगा तो उस ब्लॉक की हैश वैल्यू बदल जाएगी और उस ब्लॉक से आगे वाले सभी और पीछे वाले ब्लॉक मे वैध वैल्यू नहीं रहेगी जिससे पूरी ब्लॉकचैन अवैध हो जाएगी। परंतु आज के तीव्र गति के कंप्युटर हजारों लाखों हैश की गणना सेकंड मे कर देते है तो यह भी संभव है कि कोई ऐसे ही कंप्युटर का उपयोग कर पूरी ब्लॉकचैन की हैश वैल्यू की पुनर्गणना कर दे और अपने रिकार्ड से छेड़छाड़ कर पुनरू वैध कर दे। परंतु इससे बचने के लिए ब्लॉकचैन मे पूफ ऑफ वर्क का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो

नए ब्लॉक बनने की गति को धीमा कर देता है। इसमे माइनरस या नोडेस को गणितीय समस्या का हल करना होता है और जो माइनर या नोड सबसे तीव्र गति से समस्या हल कर देता है है वह नया ब्लॉक जोडता है और इसके लिए उसे कुछ फीस मिलती है। बिटकोइन के उदाहरण मे अगर बात करें तो प्रत्येक नया ब्लॉक जोड़ने मे यह 10 मिनट लेता है। अगर कोई व्यक्ति तीव्र कंप्यूटर की मदद से सभी ब्लॉकस की हैश वैल्यू मे परिवर्तन भी कर देता है तो भी उसे प्रूफ ऑफ वर्क की दुबारा जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी एक और सिक्युरिटी है जो है इसका विकेंद्रीयकृत होना। ब्लॉकचैन पीयर टू पीयर तकनीक पर काम करती है ओर इसमे कोई भी भाग ले सकता है। ये नोड पूरे विश्व मे अलग अलग जगहों पर अलग-अलग नेटवर्क का उपयोग करते है। जब कोई इस नोड नेटवर्क मे शामिल होता है तो उसे पूरी ब्लॉक की कॉपी मिल जाती है और नोड सत्यापित करता है कि सभी कुछ ठीक चल रहा है और किसी ब्लॉक से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके बाद प्रत्येक नोड उस ब्लॉक को अपनी ब्लॉक चौन की कॉपी मे जोड़ लेता है। इसके बाद सभी नेटवर्क उस ब्लॉकचैन पर आम सहमति (कॉनसेंसेस) देंगे कि सब कुछ ठीक है या अगर किसी ब्लॉक मे छेड़छाड़ हुई है तो उसकी जानकारी देंगे और ब्लॉकचैन अवैध हो जाएगी। इन ब्लॉकचैन लेनदेन को सत्यापित करने वालों व्यक्तियों को "माइनर" (खननकर्ता) कहा जाता है ओर इस कार्य के बदले उन्हें कुछ राशि मिलती है जिसे माइनिंग फीस कहा जाता है। बिटकोइन के माइनर को यह राशि बिटकोइन के रूप मे ही मिलती है।

तो किसी भी ब्लॉकचैन के डाटा में छेड़छाड़ करने के लिए किसी व्यक्ति को पहले पूरे ब्लॉक की हैश वैल्यू परिवर्तित करनी पड़ेगी (जो काफी हद तक संभव है) उसके बाद उसे सबका प्रूफ ऑफ वर्क सत्यापित करवाना पड़ेगा और उसे पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर स्थित अलग अलग नेटवर्क का उपयोग कर रहे 50: से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक समय में एक साथ हैक करना होगा (जो कि लगभग असंभव है क्योंकि नोड किसी भी एक नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए है ओर एक जगह पर भी स्थित नहीं है)। इसके अलावा आगे वाले सभी हैश बदल जाने से जो प्रूफ ऑफ वर्क की आवश्यकता होगी और वो बचे हुए नोडेस द्वारा भी किए जाने की संभावना है जो हैक नहीं हुए हो ओर वो उस ब्लॉक के लिए सहमित नहीं देंगे जिससे चौन फिर से अवैध हो जाएगी।

ब्लॉकचैन के प्रकार

ब्लॉकचैन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है।

1. पिल्लिक (सार्वजिनिक) ब्लॉकचैन:— पिल्लिक ब्लॉकचैन का सबसे बड़ा उदाहरण है बिटकॉइन। पिल्लिक ब्लॉकचैन मे कोई भी एक नोड की तरह शामिल हो सकता है और ब्लॉकचैन का हिस्सा बन सकता है। पिल्लिक ब्लॉकचैन का डाटा सभी के लिए उपलब्ध होता है। जैसे अगर राम मोहन को 10 बिटकोइन भेजता है तो यह जानकारी सार्वजिनिक रूप से सभी को उपलब्ध होगी। परंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसमे यह जानकारी नाम से उपलब्ध नहीं होती अपितु यह एक जिटल अड्रेस के रूप मे होती है जिसमे यह तो पता चलता है कि एक अड्रेस ने दूसरे अड्रेस को 10 बिटकोइन भेजे है परंतु राम ओर मोहन के बारे मे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

- 2. प्राइवेट (निजी) ब्लॉकचैन:— प्राइवेट या निजी ब्लॉकचैन किसी एक कंपनी द्वारा केवल अपने उपयोग के लिए बनाई गई होती है जिसमें नोड की संख्या सीमित होती है ओर ये सब नोडेस नियंत्रण में होते हैं। इसमें कंपनी किसी दूसरे के साथ डाटा सांझा नहीं करना चाहती। निजी ब्लॉकचैन में किसी प्रूफ ऑफ वर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस लिए यह तेजी से काम करती है। बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अतिउत्तम है।
- 3. फेड़रेटेड (संघीय) ब्लॉकचैन :— इस प्रकार की ब्लॉकचैन लोगों के संघ या कंपनियों के संघ उपयोग मे लेते है। इसमे कोई एक कंपनी नेत्रत्व करती है। इसके सभी नोड एक दूसरे को जानते है।

इसके अलावा पर्मिशन और पर्मिशन लेस ब्लॉकचैन भी होती है।

ब्लॉकचैन के लाभ

ब्लॉकचैन तकनीक के अनेकों लाभ है जिनमें से सबसे बड़ा लाभ यह है कि ब्लॉकचैन बहुत ज्यादा सुरक्षित है।

ब्लॉकचेन मे निहित संभावनाएं

ब्लॉकचैन तकनीक मे अनेकों संभावनाएं छिपी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है। चिकित्सा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि क्षेत्रों मे ब्लॉकचैन का उपयोग चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है।

कृषि क्षेत्र मे भूमि रिकार्ड रखने के लिए ब्लॉकचैन का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही मे आंध्रप्रदेश सरकार ने कृषि भूलेख के रिकार्ड की सुरक्षा ओर हेरफेर से बचने के लिए सभी रिकार्ड को ब्लॉकचैन पर डालने की श्रुआत की है।

चिकित्सा क्षेत्र मे भी मरीजों का डाटा ब्लॉकचैन के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है और विभिन्न हस्पतालों से मरीजों का बीमारी से संबंधित डाटा साँझा करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है।

चुनाव में धांधली या मशीनों में गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दे का निपटारा भी ब्लॉकचैन तकनीक के उपयोग से किया जा सकता है।





बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे प्राइवेट ब्लॉकचैन का उपयोग एक वरदान साबित हो सकता है जिससे सर्वर संबंधी समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा और यह तकनीक ज्यादा सुरक्षित एवं प्रभावी भी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ब्लॉकचैन से जोड़ने से वितरण प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।

पिछले कुछ वर्षों में हमने आधार का डाटा लीक होने की कई खबरें सुनी है। ब्लॉकचैन तकनीक से डाटा लीक होने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इसमें सेंधमारी करना लगभग असंभव है।

शिक्षा के क्षेत्र मे भी इसका व्यापक उपयोग किया जा सकता है छात्रों की अंकतालिकाओं को ब्लॉकचैन के माध्यम से सुलभ रूप से पब्लिक डोमेन मे रखा जाए जिससे जरूरत पड़ने पर सत्यापन के समय पब्लिक के और प्राइवेट के का उपयोग कर ऑनलाइन सत्यापित किया जा सके और इसमें कोई गड़बड़ी या फेरबदल की गुंजाइश ना रहे।

ऑनलाइन खरीददारी, फूड डिलीवरी जैसी विभिन्न वेबसाईटस पर डेबिट ओर क्रेडिट कार्ड का डाटा स्टोर किया जाता है जिसके बारे में हम सुनते है की डाटा डार्क वेब पर लीक हो गया। हाल ही में डोमिनोज पिज्जा की वेबसाईट से ग्राहकों की गोपनीय जानकारियाँ लीक हुई है। ब्लॉकचैन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

इसके अलावा भी अनेक ऐसे क्षेत्र है जहां ब्लॉकचैन प्रभावी हो सकती है

ब्लॉकचैन तकनीक की कमियाँ

गिटिल :- ब्लॉकचैन तकनीक काफी जिटल है यह किसी एक कंप्युटर या एक क्षेत्र के कंप्युटर्स को ही शामिल नहीं करता है वरन इसमे विश्व भर के कई नोडेस शामिल हो सकते है जिससे यह काफी जटिल हो जाता है।

- 2. बिजली की खपत:- नोडेस मे शामिल कंप्युटर्स को जटिल गणनाएं करनी पड़ती है जिससे की कोई नोड नया ब्लॉक जोड़ सके। इसके लिए तीव्र गति के ग्राफिक कार्ड्स उपयोग मे लिए जाते है जो कार्य करने पर काफी बिजली खर्च करते है। हालांकि इसका समाधान सोर ऊर्जा से नोड को जोड कर किया जा सकता है।
- 3. 51% जोड पर हमला :- यह एक महत्वपूर्ण कमी है की यिद किसी ब्लॉकचैन मे शामिल 51: से ज्यादा नोडेस दुर्भावनापूर्ण है तो ब्लॉकचैन मे समस्या या सकती है। परंतु पब्लिक ब्लॉकचैन मे ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि सभी नोडस या माइनर एक ही जगह और एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते।

आज दुनिया ब्लॉकचैन के फायदों और इसके उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए हर क्षेत्र में इसका उपयोग करना चाह रही है। ब्लॉकचैन तकनीक में निहित लाभों के कारण ही क्रिप्टोकरन्सी इतनी लोकप्रिय हुई है। हालांकि हर तकनीक की तरह इसकी भी कुछ किमयाँ है परंतु उन्हे कुछ हद तक नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसे किसी समय मे कंप्युटर, मोबाईल और इंटरनेट नये थे और आज वह घर घर की जरूरत बन गए है वैसा ही भविष्य ब्लॉकचैन तकनीक का देखा जा रहा है। हमारे अनुमान के अनुसार 2050 तक लगभग सभी इंटरनेट से जुड़े कार्य ब्लॉकचैन तकनीक पर परिवर्तित हो जाएंगे। भारत जैसे उभरते हुए देश को ब्लॉकचैन तकनीक के फायदे समझते हुए इसे विभिन्न क्षेत्रों मे उपयोग मे लाया जाना चाहिए जिससे सिस्टम की पारदर्शिता और सुरक्षा और भी मजबृत हो।

आर.सी.बी. फरीदकोट



Dr Anju Bala, Member NCSC met all the members of PSB All India SC/ST Council (Eastern Zone) and Banks Management and reviewed Bank's HR policies towards Scheduled Casts and appreciated Bank's Management for adopting positive attitude towards weaker Sections.



Online Verification of KYC & Financial Documents



Himanshu Gupta

The documents tendered by the prospective customer should be subjected to close scrutiny and due verification should be carried out by cross referencing and linking with other so as to establish the genuineness of the same. It is an essential part of credit appraisal. A lot of fraud incidents occurred in banks due to forged documents submitted by borrower and authenticity of documents not checked by the bank officials while appraising the loan proposal. The genuineness of KYC and various financial documents must be checked with the concerned website. A list of some web-links is given hereunder for quick and easy reference.

Sr. No.	Documents	Where to verify its Authenticity
1	PAN & IT Return	https://www.incometaxindia.gov.in/
2	Aadhar Verification	https://resident.uidai.gov.in/verify
3	Voter ID Card	https://electoralsearch.in/
4	Driving License	https://parivahan.gov.in/rcdlstatus/
5	Passport Verification	https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/statusTracker/
		trackStatusForFileNoNew
6	IT refund & Tax paid Challan	www.tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html
7	CIBIL Report	
	(i) Consumer	www.consumer.cibil.com
	(ii) Commercial	www.commercial.cibil.com
	(iii) ID Vision Verification (erstwhile e-Verify)	www.dc.cibil.com
8	Financials/ Balance Sheet, Shareholding Pattern etc. of	https://www.nseindia.com/
	listed companies	https://www.bseindia.com/
		https://www.mca.gov.in
9	Details of TUF Scheme	http://txcindia.gov.in
10	Registration/information on securities registered with	http://www.cersai.org.in
	CERSAI	
11	CIC's Defaulters List/Defaulters' list	https://suit.cibil.com/
12	CRILC Database	https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/
13	GSTIN verification	https://services.gst.gov.in/services/searchtpbypan
14	ECGC caution list	https://www.ecgcltd.in/ecgcportal/
15	ECGC SAL verification	https://www.ecgc.in
16	Vehicle Registration Verification	https://vahan.nic.in/nrservices/faces/user/searchstatus.xhtml
17	Chartered Accountant details/UDIN verification	https://www.icai.org
18	Form 16 verification	https://www.tdscpc.gov.in/app/tapn/tdstcscredit.xhtml
19	Banned list of Promoters	https://www.sebi.gov.in
20	Search legal entity identified reference data	https://www.ccilindia-lei.co.in
21	Central Fraud Registry Search	https://dbie.rbi.org.in/CFR/
22	List of disqualified Directors, Company details, DIN	https://www.mca.gov.in
	verification, Company index of Charges, Company Director	
	master data etc.	
23	ROC	https://www.mca.gov.in
24	MSME, Udhyog Aadhar verification	https://udyamregistration.gov.in/UA/UA_VerifyUAM.aspx
25	UN Sanctioned List (Al-Qaeda, Taliban)	https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
		consolidated-list

Manager, HO Vigilance Department







प्रधान कार्यालय

बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

संपर्क : 011 45718984

ई–ਸੇल : editor.navodaya@psb.co.in ਟॉल फी :1800-419-8300

Head Office

Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

Ph.: 011 45718984

E-mail: editor.navodaya@psb.co.in Toll Free No.: 1800-419-8300